2025 का विधेयक संख्यांक 195

[दि सबका बीमा सबकी रक्षा (अमेडमेंट आफ इंश्युरेंस लॉज) बिल, 2025 का हिन्दी पाठ]

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025

बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

अध्याय 2

बीमा अधिनियम, 1938 का संशोधन

कतिपय अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा कतिपय अभिव्यक्तियों के प्रतिनिर्देश का अर्थान्वयन ।

2. संपूर्ण बीमा अधिनियम, 1938 में (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), — 1938 का 4

(क) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) "मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "बीमा मध्यवर्ती ", शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (3) में,—

(क) उपखंड (ii) में ", या किसी प्रेसिडेंसी नगर में नगर सुधार न्यास" शब्दों का लोप किया जाएगा तथा, "और", शब्द अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

(ii) खंड (4क) में, "बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उपधारा (1)", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5", शब्दों और अंकों को रखा जाएगा; 1949 का 10

(iii) खंड (5) में,—

(क) "या भाग 3 में यथा परिभाषित क्षेमदा सोसाइटी", शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "या क्षेमदा सोसाइटी", शब्दों के स्थान पर "या इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति", शब्द रखा जाएगा;

(iv) खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

''(5क) "बीमा कारबार का वर्ग" से निम्नलिखित वर्ग अभिप्रेत है,—

(क) जीवन बीमा कारबार

(ख) साधारण बीमा कारबार ;

(ग) स्वास्थ्य बीमा कारबार;

(घ) पुन: बीमा कारबार ; या

(ङ) ऐसे अन्य वर्ग का बीमा कारबार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकरण के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ;';

(v) खंड (6ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(6ग) "स्वास्थ्य बीमा कारबार" से बीमा की संविदा को प्रभावी करने वाला कारबार अभिप्रेत है जो रुग्णता फायदे या चिकित्सा और स्वास्थ्य खर्चों के लिए संदाय उपलब्ध कराता है और जिसमें निम्नलिखित शामिल है, —

(i) बीमा की संविदा को प्रभावी करने वाला व्यक्तिगत दुर्घटना

बीमा कारबार जो दुर्घटना से हुई मृत्यु की घटना, निर्योग्यता या चिकित्सालय भर्ती में धनराशि के संदाय के लिए उपबंध करता है; और

(ii) बीमा की संविदा को प्रभावित करने वाला यात्रा बीमा कारबार जो रुग्णता फायदे या चिकित्सा और स्वास्थ्य खर्चों के लिए संदाय या यात्रा के दौरान दुर्घटना से हुई मृत्यु की घटना, निर्योग्यता या चिकित्सालय भर्ती या हानि सहन करने के लिए धनराशि के लिए संदाय के लिए उपबंध करता है;

(6घ) "बीमा कारबार" से बीमा संविदाओं को प्रभावी करने का कारबार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संविदा के अन्य स्वरूप भी है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकरण के परामर्श से अधिसूचित किया जाए ।

स्पष्टीकरण–इस खंड में, "बीमा संविदा" पद से वह संविदा अभिप्रेत है, जिसके द्वारा बीमाकर्ता ऐसे निबंधनों और शर्तों पर तथा ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जिन पर सहमति हो, आकस्मिक घटना से उदभूत हानि, क्षति या दायित्व के लिए प्रीमियम के संदाय पर जोखिम लेने का तथा बीमाकृत व्यक्ति को सहमत प्रतिकर संदाय करने का प्रतिज्ञान करता है ।'।

(vi) खंड (7क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

2013 का 18

'(7क) "भारतीय बीमा कंपनी" से कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो पब्लिक कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई और रजिस्ट्रीकृत की गई कंपनी है और जिसका पूर्ण प्रयोजन जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या पुन: बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार करना है ;';

(vii) खंड (8क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(8क) "बीमा सहकारी सोसाइटी" से ऐसा कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्—

1912 का 2

(क) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के उपबंधों के अधीन;

(ख) सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन; या

2002 का 39

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है,

और जिसका पूर्ण प्रयोजन भारत में जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार करना है ;';

(viii) खंड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(9) "बीमाकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीमा कारबार चलाता है ;';

(ix) खंड (10ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(10ख) "बीमा मध्यवर्ती" में निम्नलिखित शामिल है,—

(क) बीमा दलाल;

(ख) पुन: बीमा दलाल;

(ग) बीमा परामर्शी ;

(घ) कारपोरेट अभिकर्ता;

(ङ) तृतीय पक्ष प्रशासक;

(च) सर्वेक्षक और हानि एसेसर;

(छ) प्रबंध करने वाला साधारण अभिकर्ता;

(ज) बीमा संग्रह; और

(झ) ऐसी अन्य इकाईयां जो समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएं ;';

(x) खंड (13खक) में, "धारा 10चख", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 408", शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(xi) खंड (13खख) में, "धारा 10चद की उपधारा (1)", शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "धारा 410", शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(xii) खंड (13खक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(13खग) "प्रीमियम" से बीमा की संविदा के लिए पॉलिसी धारक द्वारा बीमाकर्ता को प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है ;';

(xiii) खंड (14) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(14क) "प्रधान अधिकारी" से बीमाकर्ता का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकृत किया गया हो;';

(xiv) खंड (16) में, "खंड (72)", शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (71)", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जांएगे;

धारा 2ग का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2ग में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) में, "अन्य विधि" शब्दों के पश्चात्, "बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) बीमा कारबार करने के लिए तत्समय प्रवृत्त संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कानूनी निकाय है ; या"

(iii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) भारत से बाहर किसी देश की विधि के अधीन निगमित और पुन:बीमा कारबार में लगी हुई कोई कंपनी या स्थापित निकाय जो अनन्य रूप से बीमा कारबार के प्रयोजन के लिए भारत में कोई

1871 का 34 (यूके)

शाखा स्थापित करती है जिसमें लॉयड्स अधिनियम, 1871 (यूनाइटेड किंगडम) के अधीन स्थापित लॉयड्स या इसका कोई सदस्य शामिल है ।

(iv) तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन स्थापित या निगमित कोई कंपनी या कोई निकाय पुन: बीमा कारबार से भिन्न बीमा कारबार के किसी वर्ग को नहीं करेगी :";

(v) चौथे परंतुक में "कोई बीमाकर्ता जो बीमा करबार करने वाली बीमा कंपनी बीमा सहकारी सोसाइटी या इस उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट बीमा कारबार करने वाला निगमित निकाय", शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "जो कोई बीमाकर्ता बीमा कारबार करने वाली" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) बीमाकर्ता से भिन्न कोई व्यक्ति इसके नाम के भाग के रूप में या इसके कारबार के संबंध में, "बीमा", "बीमाकर्ता", "भरोसा", "पुन: बीमा", "बीमा कंपनी" या उनके किन्हीं व्युत्पन्नों को प्रयोग नहीं करेगा और कोई व्यक्ति भारत में बीमा का कारबार नहीं करेगा यदि वह ऐसे शब्दों में से कम से कम एक को इसके नाम के भाग के रूप में प्रयोग करता है, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) कोई बीमा मध्यवर्ती, विनियमों के अनुसार, बीमा मध्यवर्ती के रूप में इसके संगठन और सेवाओं की प्रकृति को इंगित करने के लिए केवल "बीमा", "भरोसा" या "बीमा कंपनी" शब्दों का प्रयोग कर सकेगा ।

(6) बीमाकर्ताओं या बीमा मध्यवर्तियों का कोई संगम, जिसे उनके पारस्परिक हितों के संरक्षण के लिए गठन किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, विनियमों के अनुसार, इसके संगठन, प्रयोजनों और सेवाओं की प्रकृति को इंगित करने के लिए केवल "बीमा", "भरोसा" या "बीमा कंपनी" शब्दों का प्रयोग कर सकेगा ।"

2013 का 18

धारा 2गक का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 2गक में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "विशेष आर्थिक जोन", शब्दों के पश्चात्, "और विशेष आर्थिक जोन में स्थापित अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र", शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

2005 का 28

"(क) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित किसी विशेष आर्थिक जोन, जिसमें अंतरराष्ट्रीय विशेष आर्थिक जोन भी है, में बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती को लागू नही होगा ।;

(ख) ऐसे अपवादों उपांतरणों और अनुकूलनों जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के सहित विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के

उपबंधों के अधीन स्थापित किसी विशेष आर्थिक जोन, जिसमें अंतरराष्ट्रीय विशेष आर्थिक जोन भी है, में बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती को लागू होगा।

धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) उपधारा (2) और उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप, रीति में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज और ऐसी फीस संलग्न होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2क) प्राधिकरण, उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, यदि ऐसी जांच के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है जैसा वह ठीक समझे कि,—

(क) आवेदक की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन की साधारण प्रकृति अच्छी है ;

(ख) आवेदक के कारबार का आशयित परिमाण, पूंजी संरचना और अर्जन संभावनाएं पर्याप्त होंगी;

(ग) साधारण जनता के हितों की पूर्ति की जाएगी यदि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र आवेदक को प्रदान कर दिया जाता है; और

(घ) आवेदक ने इस अधिनियम के उपबंधों, जो भी लागू हों और ऐसी सभी शर्तों, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, का अनुपालन किया है,

आवेदक को बीमाकर्ता के रूप में रजिस्टर कर सकेगा तथा उसे बीमा कारबार के ऐसे वर्ग या वर्गों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा, जिसके लिए वह पात्र है ।";

(ii) उपधारा (3) में, "धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ)", शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग)", शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (5ग) में, "या वह धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन किया गया आवेदन स्वीकार करा लेता है", शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (5घ) में, "न्यायालय", शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 3कक का अंत:स्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 3क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

साम्या में विदेशी विनिधान ।

"3कक. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से ही, किसी भारतीय बीमा कंपनी में विनिधानकर्ताओं के फोटफोलियों सहित विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा समग्र साम्या शेयर, समादत्त साधारण पूंजी के सौ प्रतिशत तक विस्तारित हो सकेगा और ऐसे विनिधानकर्ताओं द्वारा विदेशी विनिधान ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि

बीमा सेक्टर में विकास में गति लाने के लिए, किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान सौ प्रतिशत तक विस्तारित हो सकेगा ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) उपधारा (1) में, "धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे :

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 2ग की उपधारा उपधारा (1) के खंड (ग) में यथा निर्दिष्ट कोई बीमाकर्ता तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पास एक खरब रुपए से अन्यून की शुद्ध स्वामित्व निधि न हो ।"।

धारा 6क का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 6क में,—

(क) उपधारा (1) में, "जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार या पुनर्बीमा कारबार" शब्दों के स्थान पर, "बीमा कारबार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) "जीवन बीमा कारबार, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कारबार और पुनर्बीमा कारबार" शब्दों के स्थान पर, "बीमा कारबार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (11) के खंड (i) में, "उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (6)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 6ख का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 6ख की उपधारा (1) में, "जीवन या साधारण या स्वास्थ्य या पुनर्बीमा कारबार" शब्दों के स्थान पर, "बीमा कारबार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में,—

(क) "की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ;

(ख) "नियंत्रक" शब्द के स्थान पर, "प्राधिकरण" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) पहले परंतुक में, "के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

धारा 11 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) में, "आमदनी लेखा" शब्दों के पश्चात्, "और अन्य वित्तीय विवरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 12क का अंत:स्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बीमाकर्ता द्वारा बीमांकक की नियुक्ति ।

"12क. किसी बीमाकर्ता द्वारा बीमांकक की नियुक्ति के लिए अर्हता मापदंड और अनुभव तथा बीमांकक के कृत्य ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।"।

धारा 13 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(i) सीमांत शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित सीमांत शीर्षक रखा जाएगा,

अर्थात :—

"बीमांकक की रिपोर्ट";

(ii) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात :—

"(1) प्रत्येक बीमाकर्ता, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार की वित्तीय स्थिति की किसी बीमांकक द्वारा जांच करवाएगा, जिसके अंतर्गत उसके संबंध में उसकी देयताओं का मूल्यांकन भी सम्मिलित है और ऐसे बीमांकक की रिपोर्ट, जो ऐसे प्रयोजन के लिए बनाई जाए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, बनवाएगा ।

(1क) प्राधिकरण, किसी विशिष्ट बीमाकर्ता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उस तारीख से, जिसको पूर्व में जांच की गई थी, दो वर्ष से अपश्चात् की तारीख के भीतर बीमाकर्ता द्वारा जांच करना अनुज्ञात करेगा ।

(2) किसी रिपोर्ट को बनाने के संबंध में उपधारा (1) के उपबंध, किसी बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति की, लाभों के वितरण या किसी ऐसे प्रयोजन के लिए की गई जांच, जो प्राधिकरण अवधारित करे, के संबंध में भी लागू होंगे ।";

(iii) क्रमश:, उपधारा (3) में, "संक्षिप्ति" शब्द के स्थान पर, और उपधारा (4) में, "सार" शब्द के स्थान पर, "रिपोर्ट" शब्द रखा जाएगा ;

(iv) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

पालिसियों और दावों का अभिलेख ।

"14. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता, उसके द्वारा किए गए सभी संव्यवहारों के संबंध में,—

(क) पालिसियों का संपूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसमें पालिसी आवेदनों के सभी ब्यौरे, पालिसी संपर्क और अन्य सुसंगत और अन्य संबद्ध सूचना अंतर्विष्ट होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) बीमाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को जारी की गई प्रत्येक पॉलिसी के संबंध में, पॉलिसीधारक का नाम, जन्म की तारीख, पता और (जहां उपलब्ध हो) ईमेल पता, आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या या व्यक्ति की विशिष्ट पहचान के प्रयोजन के लिए किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसी कोई अन्य पहचान संख्या, पॉलिसी प्रभावी होने की तारीख और किसी ऐसे अंतरण, समनुदेशन या नामनिर्देशन का अभिलेख, जिसके संबंध में बीमाकर्ता को सूचना है और कोई अन्य सूचना, जिसे प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ii) बीमाकर्ता द्वारा किसी अस्तित्व को जारी की गई प्रत्येक पॉलिसी के संबंध में, नाम, निगमन की तारीख, पता और ईमेल

पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या या स्थायी खाता संख्यांक या ऐसी इकाई की विशिष्ट पहचान के प्रयोजन के लिए किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसी अन्य पहचान संख्या, पॉलिसी के प्रभावी होने की तारीख और किसी ऐसे हस्तांतरण, समनुदेशन या नामनिर्देशन का अभिलेख, जिसके संबंध में बीमाकर्ता को सूचना है और कोई अन्य सूचना, जिसे प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट करेगा ; और

(ख) दावों का एक अभिलेख रखेगा, जिसमें किए प्रत्येक दावे के साथ दावे की तारीख, दावाकर्ता का नाम और पता तथा वह तारीख, जिसको दावा उन्मोचित किया गया था या किसी खारिज किए गए दावे की दशा में खारिज करने की तारीख और उसका आधार होगा ; और

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार पालिसियों और दावों का एक अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगा, जिसमें इलैक्ट्रानिक पद्धति सम्मिलित है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता, उसके द्वारा किए गए सभी कारबार के संबंध में बीमांकित राशि और प्रीमियम के निबंधनानुसार किसी विनिर्दिष्ट अवसीमा से अधिक की पालिसियां, ऐसी रीति और प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जारी करने का प्रयास करेगा ।

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता, समवर्ती आधार पर, प्राधिकरण को या प्राधिकरण द्वारा विनियमित और प्राधिकृत किसी अस्तित्व को, उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में यथा कथित पॉलिसियों का अभिलेख ऐसी रीति में और ऐसे ब्यौरे के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रस्तुत करेगा ।

बीमाकर्ताओं या प्राधिकरण की अन्य विनियमित अस्तित्वों द्वारा पॉलिसीधारकों की जानकारी का प्रसंस्करण ।

14क. (1) प्राधिकरण, पॉलिसीधारकों की अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) जानकारी के प्रसंस्करण का निदेश, बीमाकर्ताओं या प्राधिकरण की अन्य विनियमित अस्तित्वों को दे सकेगा और याचना के दौरान या तत्पश्चात् प्रसंस्कृत किए गए दस्तावेज और सूचना, ऐसे प्ररूप और रीति में होगी, जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) पॉलिसीधारक की अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) सूचना और बीमाकर्ता या प्राधिकरण के अन्य विनियमित अस्तित्वों द्वारा याचना के दौरान या तत्पश्चात् प्रसंस्कृत किए गए दस्तावेज और सूचना का प्रसंस्करण, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के लिए विधिमान्य समझा जाएगा ।

(3) बीमाकर्ता और प्राधिकरण के अन्य विनियमित अस्तित्व, पॉलिसीधारक की अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) सूचना और याचना के दौरान या तत्पश्चात् इस धारा में मिली सूचना और दस्तावेज का उपयोग, केवल इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए करेगा ।

पॉलिसीधारकों की सूचना की सटीकता और सुरक्षा ।

14ख. पॉलिसीधारकों की सूचना का धारक या उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई बीमाकर्ता या प्राधिकरण का अन्य विनियमित अस्तित्व, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्व द्वारा रखी गई पॉलिसीधारक की सूचना सभी प्रकार से सही, पूर्ण और अद्यतन है, सुरक्षित

और किसी हानि या अप्राधिकृत पहुंच या उपयोग, उसके अप्राधिकृत प्रकटन से सम्यक् रूप से संरक्षित है, ऐसे सभी उपाय करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

पॉलिसीधारकों की सूचना की गोपनीयता ।

14ग. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहते हुए, बीमाकर्ता या प्राधिकरण के अन्य विनियमित अस्तित्व यह सुनिश्चित करेंगे कि पॉलिसीधारकों की अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी) जानकारी और याचना के दौरान या तत्पश्चात् प्रसंस्कृत किए गए दस्तावेज और सूचना, सभी समय पर पूर्ण गोपनीयता के साथ बनाए रखी जाए और व्यापक रूप से संरक्षित रखी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, उक्त सूचना, निम्नलिखित के सिवाय, किसी तीसरे पक्षकार के साथ बांटी नहीं जाएगी या सांझा नहीं की जाएगी,—

(क) जहां विधि में प्रकटन अनिवार्य हो ;

(ख) जहां प्रकट करना लोक कर्तव्य हो ; या

(ग) जहां प्रकटन ग्राहक की स्पष्ट सहमति से किया गया हो ।"।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना ।

"15. धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षित लेखे और विवरण तथा धारा 13 में निर्दिष्ट विवरण, उस अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप या ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस अवधि की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर, जिसको वे निर्दिष्ट हैं, प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, "या धारा 28क या धारा 28ख" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

धारा 22 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) में, "की उपधारा (1) और (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 26 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 26 में, अंत में आने वाले "और जहां उस परिवर्तन से उन बीमाकृत दरों, सहूलियतों, निबन्धनों और शर्तों पर, जो जीवन बीमा पालिसी के संबंध में प्रस्थापित की गई हों, प्रभाव पड़ता है, वहां उस परिवर्तन की विशिष्टियों के साथ उक्त उपधारा के खण्ड (च) में निर्दिष्ट बीमांकिक प्रमाणपत्र दिया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 27 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :—

आस्तियों का विनिधान ।

"27. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित दायित्व से अन्यून मूल्य की आस्तियों का निवेश करेगा तथा सभी समय पर उनका निवेश रखेगा, अर्थात् :—

(क) जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता की दशा में,—

(i) उक्त आस्तियों का पच्चीस प्रतिशत, सरकारी प्रतिभूतियों

में ;

(ii) उक्त राशि के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून रकम के बराबर अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में ; और

(iii) अतिशेष, ऐसे किन्हीं अनुमोदित विनिधानों में से किसी में,

ऐसी विनिर्दिष्ट परिसीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ख) जीवन बीमा कारबार से अन्यथा, बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता की दशा में,—

(i) उक्त आस्तियों का बीस प्रतिशत, सरकारी प्रतिभूतियों में ;

(ii) उक्त राशि के दस प्रतिशत से अन्यून रकम के बराबर अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में ; और

(iii) अतिशेष, ऐसे किन्हीं अनुमोदित विनिधानों में से किसी में, ऐसी विनिर्दिष्ट परिसीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु बीमाकर्ता, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, विनिर्दिष्ट विनिधानों से भिन्न उसकी नियंत्रित निधियों या आस्तियों के किसी भाग का विनिधान कर सकेगा या उन्हें विनिधानित रख सकेगा, यदि ऐसे विनिधान इस उपधारा में विनिर्दिष्ट आस्तियों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

(2) बीमाकर्ता की आस्तियों के संपूर्ण या किसी भाग का विनिधान, निम्नलिखित के अधीन होगा,—

(क) यह शर्त कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियां किसी विल्लंगम, प्रभार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त होंगी ;

(ख) ऐसी परिसीमाएं और शर्तें, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 या उसके अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन या सरकारी प्रतिभूति उधार लेनदेन पर लागू नहीं होगी ।

1934 का 2

(3) बीमाकर्ता, ऐसे निबंधनों और अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियों के, मूल्य में, पांच प्रतिशत से अनधिक का, किसी ऐसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय में विनिधान नहीं करेगा, जो प्रवर्तकों के स्वामित्व में है या उन द्वारा नियंत्रित है ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस रीति को किसी भी प्रकार प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसमें किसी कर्मचारी की भविष्य निधि से या किसी कर्मचारी से ली गई किसी प्रतिभूति से संबंधित धनराशियां या उसी प्रकृति की कोई अन्य धनराशियां, तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय

अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन धारित की जानी अपेक्षित हैं ।

(5) भारत के बाहर निगमित या अधिवसित बीमाकर्ता द्वारा विनिधान की जाने वाली आस्तियां, उनके ऐसे किसी भाग तक के सिवाय, जो भारत के बाहर धृत विदेशी आस्तियों से मिलकर बना है, दायित्वों के उन्मोचन के लिए, भारत में और न्यास में धृत रखी जाएगी और ऐसी सब आस्तियां भारत में निवासी और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, न्यासियों में निहित रहेगी तथा ऐसे न्यास का लिखत, बीमाकर्ता द्वारा, प्राधिकरण के अनुमोदन से, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निष्पादित किया जाएगा ।

(6) प्राधिकरण, या तो साधारणतया या किसी विशेष दशा में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिरोपित की जाए, निदेश दे सकेगा कि कोई विनिधान, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्तियों की संगणना करने में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, हिसाब में ले सकेगा और जहां इस उपधारा के अधीन ऐसा निदेश जारी किया गया है, वहां उसकी प्रतियां इसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी ।

(7) यदि प्राधिकरण किसी समय यह समझता है कि किसी बीमाकर्ता का एक या अधिक विनिधान अनुपयुक्त या अवांछित है तो प्राधिकरण बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विनिधान या विनिधानों की वसूली का निदेश दे सकेगा और बीमाकर्ता को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर निदेश का पालन करना होगा ।

(8) प्राधिकरण, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पालिसीधारकों के हित में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा धारित आस्तियों के विनिधान का समय, रीति और अन्य शर्तें, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(9) प्राधिकरण, समय, रीति और अन्य शर्तों, जिनके अधीन पालिसीधारकों की निधि का अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट में विनिधान किया जाएगा, के लिए विनिर्दिष्ट निदेश दे सकेगा ।

(10) प्राधिकरण, कारबार की प्रकृति को विचार में लेने के पश्चात् और पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, उसके द्वारा धारित की जाने वाली आस्तियों के विनिधान के समय, रीति और अन्य शर्तों के संबंध में किसी बीमाकर्ता को निदेश दे सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन तब तक कोई निदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक संबद्ध बीमाकर्ता को सुने जाने का एक अवसर न दे दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "आस्तियों" पद से उनकी चालू कीमत पर बीमाकर्ता की सभी आस्तियां अभिप्रेत हैं, किन्तु इनमें ऐसी किसी निधि या उसके भाग जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसका भाग भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा विनियमित होता है या प्रकीर्ण व्यय जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा, के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से धारित कोई आस्ति

सम्मिलित नहीं है ;

(ii) किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय के संबंध में "नियंत्रित" से, वैयष्टिक रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करते हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रवर्तकों द्वारा, प्रयोगतव्य, जिसके अंतर्गत शेयर धारण या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के करार या मतदान करार के कारण भी हैं, उसके निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने का या उसके प्रबंधन या नीति विनिश्चयों का नियंत्रण करने के अधिकार अभिप्रेत है ;

(iii) "नियंत्रित निधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की दशा में,—

(i) उसकी सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार नहीं करता है ;

(ii) उसके जीवन बीमा कारबार से संबंधित भारत में की सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार भी करता है ।

परंतु उपखंड (क) में निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत ऐसी कोई निधि या उसका भाग नहीं है, जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसके भाग को भारत के बाहर किसी देश की प्रवृत्त विधि द्वारा विनियमित किया जाता है या इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा ;

(ख) जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी अन्य बीमाकर्ता की दशा में,—

(i) भारत में उसकी सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार नहीं करता है ;

(ii) उसके जीवन बीमा कारबार से संबंधित भारत में सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग के बीमा कारबार भी करता है, किंतु इसमें कोई निधि या उसका भाग सम्मिलित नहीं है जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है, कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसका भाग भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा विनियमित किया जाता है या जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा ;

(iv) "दायित्व" से बीमाकर्ता के पालिसीधारकों के प्रति शुद्ध दायित्व अभिप्रेत है ;

(v) किसी कंपनी के संबंध में "स्वामित्व" से प्रवर्तकों द्वारा उसकी पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त शेयर पूंजी धारण करना है, और इसमें ऐसी किसी कंपनी की आनुषंगी कंपनी भी है ; और

(vi) "प्रवर्तक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,—

(क) जिसे किसी बीमाकर्ता की किसी प्रतिभूति के क्रय या अभिदाय के लिए जनता से आफर आमंत्रित करने वाले प्रास्पेक्टस में ऐसा कहा गया है, या जिसकी बीमाकर्ता द्वारा कंपनियों रजिस्टर करने का कार्य कर रहे व्यक्ति के पास फाइल की गई उसकी वार्षिक विवरणियों में ऐसी पहचान की गई है ;

(ख) जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे शेयरधारक, निदेशक या अन्यथा के रूप में, बीमाकर्ता के कार्यों पर नियंत्रण है ;

(ग) बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड, जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार, कार्य करने का अभ्यस्त है, किंतु ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगा, जो मात्र वृत्तिक हैसियत में कार्य कर रहा है ।'।

धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग और धारा 27घ का लोप ।

21. मूल अधिनियम की धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग और धारा 27घ का लोप किया जाएगा ।

धारा 30 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 30 में, "धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग और धारा 27घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा ।

धारा 31 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में, "उपधारा (7)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपधारा (5)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 31क का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (1) में, "बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति" से आरंभ होने वाले और "और न उपर्युक्त जैसा कोई व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता द्वारा प्रबन्धक या अधिकारी के रूप में या किसी भी हैसियत में नियोजित किया जाएगा :" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— 1950 का 47

"सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, किसी बीमाकर्ता को, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसका पारिश्रमिक या उसका कोई भाग, कमीशन या बोनस या मूल्यांकन अधिशेष में हिस्से के रूप में है, किसी कंपनी या किसी फर्म द्वारा निदेशित नहीं किया जाएगा या उसका प्रबंध नहीं किया जाएगा, या प्रबन्धक या अधिकारी के रूप में या किसी अन्य हैसियत में नियोजन नहीं किया जाएगा :"।

धारा 32क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 32क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

समान अधिकारियों का प्रतिषेध तथा पूर्णकालिक अधिकारियों सम्बन्धी अपेक्षा ।

"32क. (1) किसी बीमाकर्ता का कोई प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी, किसी अन्य बीमाकर्ता या किसी बैंककारी कम्पनी या किसी विनिधान कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी नहीं होगा ।

(2) प्राधिकरण, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, दो या अधिक ऐसे अस्तित्वों को, उनके समामेलन को या एक बीमाकर्ता का कारबार दूसरे को अन्तरित करने को सुकर करने के प्रयोजन के लिए, इस धारा के क्रियान्वयन से

छूट दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी निदेशक को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 32ख का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 32ख में, "जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार" शब्दों के स्थान पर, "बीमा कारबार" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32ग का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 32ग में, "जीवन बीमा या साधारण बीमा" शब्दों के स्थान पर, "बीमा" शब्द रखा जाएगा।

धारा 33 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (6) के खंड (क) में, "बीमाकर्ता" शब्द के पश्चात्, "या बीमा मध्यवर्ती" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 33क का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 33क में,—

(i) हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है;

(ii) "बीमाकर्ताओं" शब्द के पश्चात्, "या बीमा मध्यवर्तियों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि यह आवश्यक और समीचीन है,—

(क) लोक हित में;

(ख) किसी बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती के कार्यकलाप ऐसी रीति में संचालित किए जाने के निवारण के लिए जो पालिसीधारियों के हित के लिए है अथवा बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है; या

(ग) बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती के समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए,

वापसी के निदेश सहित बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती को साधारणत: या विशिष्टत: ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे, और बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती ऐसे निदेश का अनुपालन करेंगे:

परंतु ऐसा कोई निदेश किसी विशिष्ट बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के अधीन निदेश जारी करने की शक्ति में किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी संव्यवहार या क्रियाकलाप में संलिप्त होकर लाभ लिया हो या हानि टाली हो, ऐसे उल्लंघन द्वारा सदोष लाभ या टाली गई हानि के बराबर रकम वापस करने के लिए निदेश देने की शक्ति सम्मिलित होगी या सदैव सम्मिलित हुई मानी जाएगी।"।

1999 का 41

धारा 34क का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 34क की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, धारा 197 और धारा 203 की कोई बात किसी ऐसे मामले पर लागू नहीं होगी जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।"। 2013 का 18

धारा 34ज का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 34ज की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के किसी उपबंध का उल्लंघन बीमाकर्ता या बीमा मध्यस्थ द्वारा किया गया है या किए जाने की संभावना है, या"; 1999 का 41

(iv) खंड (च) और खंड (छ) में दोनों स्थानों पर "बीमाकर्ता" शब्द के पश्चात् "या बीमा मध्यवर्ती" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

धारा 35 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रखी, अर्थात्:—

"(1) समय-समय पर प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकर्ता का कोई बीमा कारबार या किसी कंपनी का गैर-बीमा कारबार किसी अन्य बीमाकर्ता के बीमा कारबार को इस धारा के अधीन तैयार की गई और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार ही स्थानांतरित किया जाएगा या उसके साथ समामेलित किया जाएगा, सिवाय इसके कि स्थानांतरित बीमाकर्ता इस अधिनियम के उपबंधों का हर समय अनुपालन करे और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों का अनुपालन करे।"

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ख) में, "प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा कारोबार" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक इकाई का कारोबार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "जीवन" शब्द का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में, "स्थापित किया गया था" शब्दों के पश्चात, "या कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iv) परंतुक में,—

(क) शब्द "बीमाकर्ता" के स्थान पर शब्द "पक्षकार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "या भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, 1912 की धारा 7 और धारा 8" शब्दों और अंकों के स्थान पर "या कोई अन्य लागू कानून" शब्द रखे जाएंगे। 1912 का 6

(ग) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) धारा 35, धारा 36, धारा 37 या धारा 37-क में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठहराव या समामेलन या कारबार के अंतरण की स्कीम के लिए विनियम, रीति, प्रक्रिया और अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"।

धारा 37 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

(क) "दो या अधिक बीमाकर्ताओं" शब्दों के स्थान पर "दो या अधिक अस्तित्वों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के उपखंड (झ) में, "प्रत्येक संबंधित बीमाकर्ता का बीमा कारबार" से आरंभ होने वाले और "उस अनुसूची के भाग-1" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "ऐसे एकीकरण या हस्तांतरण में संबंधित प्रत्येक इकाई का कारोबार, जो विनियमों के अनुसार तैयार किया गया हो" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 37क का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 37क की उपधारा (2) के दूसरे पंरतुक में, "नियंत्रक" शब्द के स्थान पर "प्राधिकारी" शब्द रखा जाएगा।

धारा 40 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण पॉलिसीधारकों के हित में, विनियमों द्वारा, बीमा एजेंट या बीमा मध्यस्थ को देय किसी भी रूप में किसी कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार की सीमा, ऐसे भुगतान का रीति, अपेक्षित प्रकटीकरण का रीति और बीमा अभिकर्ता या बीमा मध्यस्थों से संबंधित ऐसे अन्य मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकेंगे।"।

धारा 40ख का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 40ख के पार्श्व शीर्षक में "जीवन" शब्द का लोप किया जाएगा।

धारा 40ग का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 40ग के पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"बीमाकर्ता द्वारा प्रबंध के व्ययों का ब्यौरा देना।"।

धारा 41 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के परंतुक में, "अपने ही जीवन पर ली गई जीवन बीमा पालिसी" के स्थान पर "अपने जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति से संबंधित जोखिम के संबंध में स्वयं द्वारा ली गई बीमा कारबार के किसी वर्ग पर उपवर्ग की पालिसी" शब्दों को रखा जाएगा।

धारा 42घ का संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 42घ में,—

(i) उपधारा (2) में, "हकदार हो जाएगा" शब्दों के पश्चात् "कोई व्यक्ति बीमा मध्यवर्ती के रूप कार्य को जारी रखना या करना तब तक आरंभ नहीं करेगा,जब तक कि वह प्राधिकरण से इसके लिए रजिट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेता है" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराओं को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) बीमा मध्यवर्ती के रुप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक आवदेन ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में होंगे, उसके साथ ऐसे दस्तावेज के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जैसा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) इस धारा के अधीन पंजीकरण के नवीकरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आवेदन पंजीकरण के प्रभावी रहने की समाप्ति से पहले जारी करने वाले प्राधिकारी तक नहीं पहुंचता है:

परंतु यदि प्राधिकरण संतुष्ट हो कि अन्यथा अनुचित कठिनाई होगी तो वह सात सौ पचास रूपये विलंब फीस के भुगतान पर किसी आवेदन को स्वीकार कर सकेगा।

(4क) इस धारा के अधीन किया गया पंजीकरण, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक फीस के भुगतान के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा पंजीकरण, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और उपधारा (6) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता।";

(iii) उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(6) प्राधिकरण बीमा मध्यवर्ती का पंजीकरण निलंबित या रद्द कर सकेगा, यदि ऐसा बीमा मध्यवर्ती—

(i) इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या किसी जारी किए गए निदेश या किए आदेश के अनुपालन में चूक करता है; 1999 का 4

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 या साधारण बीमा कारबार (रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में चूक करता है या उसका उल्लंघन करता है; 2013 का 18 1972 का 5 1956 का 3 1999 का 42 2002 का 15

(iii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(iv) जिसमें अपनी नियंत्री कंपनी या संयुक्त उद्यम भागीदार है, के बाहर किसी देश में कारबार का प्रधान स्थान है जिसे बीमा मध्यवर्ती कारबार को जारी रखने के लिए ऐसे देश के विधि या प्रथा द्वारा वर्जित किया गया है;

(v) उपधारा (4क) के अधीन अपेक्षित वार्षिक फीस के संदाय में असफल रहा हो;

(vi) यथास्थिति, संबंधित राज्य विधियों के अधीन स्थापित की गई सहकारी सोसायटी, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की विधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है जैसा कि बीमा मध्यवर्ती को लागू है; 2002 का 39

(vii) पात्रता अपेक्षाओं या अर्हताओं को अधिक समय तक पूरा नहीं करता है; या

(viii) कोई अन्य चूक करता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(7) बीमा मध्यवर्ती को रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्द करने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(8) प्राधिकरण किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के स्थान पर, जो खो गया है, नष्ट हो गया है या विकृत हो गया हो, के स्थान पर रजिस्ट्रीकरण की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा, या अन्य मामलों में जहां प्राधिकरण की यह राय है कि प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना आवश्यक है, तो वह विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस के संदाय पर दूसरी प्रति जारी कर सकेगा ।";

(iv) उपधारा (9) का लोप किया जाएगा।

धारा 47 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) में,—

(i) "परिपक्व हुई किसी जीवन बीमा" शब्दों के स्थान, पर "शोध्य बीमा" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) "उस पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम पर हक" शब्दों के स्थान पर "सम्यक संदाय को प्राप्त करने के लिए हकदारी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 48ख का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 48ख की उपधारा (1) में, "धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (खक)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

धारा 49 का संशोधन

43. मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में,—

(i) "जीवन बीमा कारबार अथवा किसी ऐसे अन्य वर्ग का बीमा कारबार करता है जिसे धारा 13 लागू है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "बीमा कारबार करता है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "ऐसे अन्य वर्ग" शब्दों के स्थान पर "ऐसे वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "धारा 15 में निर्दिष्ट संक्षिप्ति" शब्दों और अंकों के स्थान पर धारा 15 में निर्दिष्ट "रिपोर्ट" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

धारा 51 का संशोधन।

44. मूल अधिनियम की धारा 51 में, "अधिक से अधिक एक रुपए की फीस का" शब्दों के स्थान पर "एक रुपए प्रति पृष्ठ, दो सौ पचास रुपए की अधिकतम फीस के अधीन रहते हुए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 52क का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 52क में,—

(i) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"निदेशक बोर्ड आदि को कब अतिष्ठित किया गया है और बीमा कारबार के लिए प्रबंधक के लिए प्रशासक कब नियुक्त किया जा सकेगा ।";

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) यदि किसी समय प्राधिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि बीमा कारबार करने वाला कोई बीमाकर्ता ऐसी रीति से कार्य कर रहा है जो कि इसके पालिसधारकों के हितों के प्रतिकूल हो सकता है, तो वह लिखित में कारण रिकार्ड करके और बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा ऐसे बीमाकर्ता के निदेशक मंडल या अन्य प्रबंध या शासी या कार्यकारी समिति को अधिक्रमित कर सकेगा,

और प्राधिकरण को निदेश और नियंत्रण के अधीन बीमाकर्ता के कार्यों का प्रबंध करने के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।

(1क) प्राधिकरण, समय-समय पर लिखित कारण रिकार्ड करके, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकेगा।"।

धारा 55 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (3) में, "धारा 643" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 468" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 61क का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 61क की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(7) जहां उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील फाइल की गई है, छह माह की उक्त अवधि के भीतर इसका निपटान नहीं हुआ है, वहां अपीलीय अधिकरण इसके लिए कारण रिकार्ड करेगा।"।

धारा 64 का संशोधन।

48. मूल अधिनियम की धारा 64 में, "प्रत्येक कलैंडर वर्ष की जनवरी के अंतिम दिन को या उसके पूर्व" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के भीतर जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निश्चित करे," शब्दों को रखा जाएगा।

धारा 64च का संशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 64च में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में, "चार" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, "एक प्रख्यात व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "दो प्रख्यात व्यक्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(गक) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो व्यक्ति।";

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में, "चार" शब्द के स्थान पर "सात" शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात व्यक्ति जो बीमा कारबार से संबंधित नहीं है;

(ग) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट बीमा अभिकर्ता बीमा मध्यवर्ती और पालिसी धारकों में से तीन प्रतिनिधि;

(घ) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वयं सहायक समूहों और बीमा सहकारी सोसाइटियों से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि; और

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो व्यक्ति :"।

धारा 64छ का संशोधन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 64छ की उपधारा (1) में "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "सभापति" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 64ज का संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 64ज की उपधारा (2) में "साधारण परिषद्" शब्दों के स्थान पर "साधारण बीमा परिषद" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 64ट का संशोधन ।

52. मूल अधिनियम की धारा 64ट में,—

(i) उपधारा (1) में "की उपधारा (2) के परंतुक" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(ii)उपधारा (4) में "की उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा तथा "या यथास्थिति, धारा 16 की उपधारा (2) की" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 64ड का संशोधन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 64ड,—

"(i) उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) में "साधारण बीमा कारबार" शब्दों के पश्चात् "स्वास्थ्य बीमा पालिसियां या पुनर्बीमा पालिसियां" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (ग) में "साधारण बीमा कारबार" शब्दों के पश्चात् "स्वास्थ्य बीमा पालिसियां या पुनर्बीमा पालिसियां" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) साधारण बीमा परिषद् की कार्य समिति, अपने कृत्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए इसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार या पुन: बीमा कारबार करने के लिए बीमा कर्ताओं से साधारण बीमा परिषद् द्वारा बनाई गई उपविधियों में यथा अभिकथित ऐसी फीस संग्रहीत कर सकेगी ।"

धारा 64द का संशोधन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 64ड की उपधारा (1) में , "की उपधारा (1) के परंतुक" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का लोप किया जाएगा ।

धारा 64द का संशोधन ।

55. मूल अधिनियम की धारा 64द की उपधारा (1) में, खंड (ख) में, "कोई विहित फीस" शब्दों के स्थान पर, "जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद् द्वारा बनाई गई उपविधियों में यथा अधिकथित फीस" शब्द रखे जाएंगे ।

56. मूल अधिनियम की धारा 64पठक का लोप किया जाएगा ।

धारा 64फख का संशोधन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 64फख की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में,—

(i) "डाक से" शब्दों के पश्चात् "या किसी ऑनलाइन ढंग से" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii)"डाक से भेजा गया है" शब्दों के पश्चात् "या बीमाकर्ता के बैंक खाते में धन प्राप्त हो गया है" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 101क का संशोधन ।

58. मूल अधिनियम की धारा 101क कीउपधारा (1) में, "भारतीय पुनर्बीमा कर्ताओं" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक बीमाकर्ता प्रत्येक पालिसी पर बीमाकृत धनराशि के इतने प्रतिशत का न्यूनतम जितना प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए भारतीय पुनर्बीमा कर्ताओं से कराएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 102 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 102 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः—

इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का अनुपालन करने में व्यतिक्रम या उसका उल्लंघन करने के कार्य में व्यतिक्रम के लिए शास्ति ।

"102. यदि कोई बीमाकर्ता या बीमा मध्यवर्ती जिससे इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 यातदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन यह अपेक्षा की जाती है कि वह— 1999 का 41

(क) कोई प्राधिकरण को कोई दस्तावेज, विवरण, लेखा, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने या उसको रिपोर्ट करने;

(ख) प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करने ;

(ग) शोधन क्षमता मार्जिन को बनाए रखने ;

(घ) बीमा संधियों के बारे में निदेशों का अनुपालन करने ;

में असफल रहता है तो वह या यह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी सफलता जारी रहती है अधिकतम दस करोड़ रुपए के अधीन रहते हुए एक लाख रूपए तक की हो सकेगी ।"।

धारा 104 का संशोधन ।

60. मूल अधिनियम की धारा 104 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में, "धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

(ii) "धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 105 ख क का अन्तःस्थापन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 105ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थातः—

धारा 42घ के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

"105खक. (1) यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस रूप में कार्य करने के लिए धारा 42घ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए बिना बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है तो ऐसी शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस लाख रूपए तक की हो सकेगी और ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी बीमा मध्यवर्ती या ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है नियुक्त करता है या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भारत में कोई बीमा कारबार करता है तो वह ऐसी शास्ति का दायी होगा जो दस लाख रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु एक करोड़ रूपए तक की हो सकेगी ।

(2) जब उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति,कोई कंपनी या फर्म है, तब ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कंपनी या फर्म के विरुद्ध की जाए, कंपनी का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी और फर्म का प्रत्येक भागीदार, जो जानते हुए ऐसे उल्लंघन का पक्षकार है, ऐसी शास्ति का दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी ।"।

धारा 105ग का संशोधन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 105ग की उपधारा (1) में, "धारा 42घ की उपधारा (8) और उपधारा (9), धारा 52च और धारा 105ख", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 52च, धारा 105खक", शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 105ड. का अंत:स्थापन ।

63. मूल अधिनियम की धारा 105घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

शास्ति अधिरोपित करने से पहले ध्यान में रखे जाने वाले कारक ।

"105ड. (1) इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति अवधारण करते समय प्राधिकरण 1999 का 41

निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखेगा, अर्थात्:—

(क) व्यतिक्रम की प्रकृति, गंभीरता और अवधि;

(ख) व्यतिक्रम की पुनरावृत्त प्रकृति

(ग) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किए गए अननुपाति अभिलाभ या अनुचित लाभ जहां कहीं मापनीय हो ;

(घ) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप पालिसी धारकों को हुई हानि;

(ङ) व्यतिक्रम के प्रभावों और परिणामों को कम करने के लिए व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई का समय और प्रभावकारिता;

(च) ऐसी व्यतिक्रम द्वारा प्रभावित पालिसी धारकों की संख्या;

(छ) क्या इस अधिनियम और बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने और उनके भंग से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित की जाने वाले शास्ति आनुपातिक है ; और

(ज) ऐसे अन्य कारक जो प्राधिकरण द्वारा समुचित समझे जाएं :

परंतु ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(2) ऐसी शास्तिक कार्यवाही का ब्रीफ 30 दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकटित की जाएगी ।

(3) शास्तियां अधिरोपित करने की वह रीति और प्रक्रिया जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।"।

धारा 106 का संशोधन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 106 में,—

(क) उपधारा (11) में, "धारा 237" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 213" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (12) का लोप किया जाएगा ।

धारा 110ख का संशोधन ।

65. मूल अधिनियम की धारा 110ख में 42 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 110च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

66. मूल अधिनियम की धारा 110च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएंगी, अर्थातः—

राज्य सरकार आदि को लागू उपबंध ।

"110च. धारा 118 के अधीन मंजूर की गई किसी छूट के होते हुए भी, धारा 3, धारा 3क, धारा 33, धारा 34, धारा 34ङ, के खंड (क), धारा 34च, धारा 40ग, धारा 44क, धारा 64पड, धारा 64फ, धारा 64फक, धारा 64फख, धारा 64फग, धारा 101क, धारा 101ग और धारा 101घ के उपबंध, यथाशक्य, उस साधारण बीमा कारबार को और उसके संबंध में भी लागू होंगे जो राज्य सरकार द्वारा या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में

यथापरिभाषित सरकारी कंपनी द्वारा किया जाता है ।"।

धारा 114 का संशोधन ।

67. मूल अधिनियम की धारा 114 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ककक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(ककक) धारा 3 कक की उपधारा (2) के अधीन विदेशी विनिधान की शर्तें और नीति ;"।

(ख) खंड (घ) खंड (ज) खंड (झ) खंड (ञ) और खंड (ठ) का लोप किया जाएगा,

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।

धारा 114 क का संशोधन ।

68. मूल अधिनियम की धारा 114क में—

(क) उपधारा (1) के सथान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बना सकेगा और ऐसे नियम बनाते समय,—

(क) ऐसे अन्य ब्यौरों जो वेबसाइट पर विनिर्दिष्ट किए जाएं के साथ प्रारूप विनियमों को प्रकाशित करके तथा ऐसे विनियमों को जारी करने से पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लोक टीका टिप्पणियां आमंत्रित करके ;

(ख) लोक टीका टिप्पणियां, जो विनियमों की अधिसूचना की तारीख से बाद की ना हों के प्रति अपने जवाब का साधारण विवरण प्रकाशित करके ;और

(ग) आवधिक रूप से ऐसे विनियमों का पुनर्विलोकन करके,

पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा:

परंतु यदि प्राधिकरण की यह राय है कि कतिपय विनियमों का बनाया जाना अपेक्षित है या विद्यमान विनियमों को तुरंत जनहित में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक है और विनियमों की विषय वस्तु, प्राधिकरण के आंतरिक कार्यकरण से एकमात्र रूप से संबंधित है, तब यह ऐसा करने के लिए प्रकाशन से पूर्व की शर्त और ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने की छूट दे सकेगा :

परंतु यह और कि यदि प्राधिकरण, इसके द्वारा प्राप्त टीका टिप्पणियों पर विचार करते हुए किए गए परिवर्तनों से भिन्न प्रस्तावित विनियमों से सारवान रूप से भिन्न रूप में विनियमों का अनुमोदन करने का विनिश्चय करता है तो यह इस उपधारा में उल्लिखित प्रक्रिया को निरसित करेगा ।"।

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "राजस्व लेखा" शब्दों के पश्चात् "और अन्य वित्तीय विवरण" शब्द

अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(चक) धारा 12क के अधीन बीमांकिकी के लिए पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें"

(iii) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(छ) धारा 13 के अधीन वह प्रयोजन जिसके लिए और वह रीति जिसमें बीमाकिंक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और वह प्ररूप एवं रीति जिसमें विवरण संलग्न किया जाना है ;

(iv) खंड (छख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(छग) धारा 15 के अधीन, प्राधिकरण को विवरणियां प्रस्तुत करने का प्ररूप रीति और अवधि ;

(v) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-

"(झ) धारा 27 के अधीन बीमाकर्ता द्वारा समय, रीति, परिसीमाओं, शर्तों तथा निर्बंधनों में आस्तियों के विनिधान ;

(Vi) खंड (ञक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(ञक)वह प्ररूप जिसमें संबंधित प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा कारबार की बाबत तुलनपत्र और वह रीति जिसमें बीमा कारबार की बाबत बीमाकिंक रिपोर्ट और सार धारा 35की उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन तैयार किया जाना और धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन कारबार के ठहराव या समामेलन या अंतरण के लिए स्कीम की रीति, प्रक्रिया और अन्य शर्तें ;

(vii) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(थ) खंड 42घ की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप, उसकी रीति, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और संदेय फीस ;

(थक) ऐसा कोई अन्य व्यतिक्रम जिसके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण धारा 42घ की उपधारा (6) के खंड (viii) के अधीन निलंबित या रद्द किया जा सकेगा ;"।

(viii) खंड (द) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(द) धारा 42घ की उपधारा (4क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के संबंध में वार्षिक फीस और उक्त उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण की प्रक्रिया ;" ;

(ix) खंड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः—

"(फ) धारा 42घ की उपधारा (8) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की दो प्रतियों में जारी किए जाने के लिए फीस ;" ;

(x) खंड (फख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

(फखक) वह अवधि, मात्रा और शर्तें जिनके अधीन कतिपय बीमाकर्ताओं को धारा 48ख की उपधारा 3 के अधीन छूट प्राप्त हो सकेगी ;" ;

(xi) खंड (यखक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(यखक) धारा 119 के अधीन प्राधिकारी के पास किसी बीमाकर्ता द्वारा फाइल किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए और उक्त दस्तावेज या उसकी मांग की प्रति अभिप्राप्त करने लिए फीस ;

(xii) खंड (यग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(यगक) धारा 114 ख के अधीन समनुषंगी अनुदेश करने की रीति और शर्तें;

(यगख) धारा 114ग के अधीन परामर्श समितियों के गठन की रीति;" ;

नई धारा 114ख और धारा 114ग का अंत:स्थापन ।

69. "धारा 114क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: —

समनुषंगी अनुदेश ।

"114ख (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष एक या अधिक पूर्णकालिक सदस्य या दोनों ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं समनुषंगी अनुदेश जारी कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) किसी विनियम यदि कोई हो कि संदिग्धता को स्पष्ट करना;

(ख) किसी विनियम के आनुषंगिक किसी प्रक्रियात्मक अपेक्षा कोा अधिकथित करना :

परंतु ऐसे अनुदेश करने से पहले धारा 114ग के अधीन गठित संबंधित परामर्श समिति से परामर्श किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां समनुषंगी अनुदेश अत्यावश्यकता के आधार पर किए जाने अपेक्षित हैं वहां यह उनके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् परामर्श समिति से परामर्श किए बिना ऐसा कर सकेगी ।

(2) समनुषंगी अनुदेशों का कोई उल्लंघन उस विनियम जिससे यह संबंधित है के उल्लंघन की कोटि में आएगा ।

परामर्श समिति ।

114ग. प्राधिकरण ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित पर सलाह देने के लिए परामर्श समितियों का गठन करेगा, —

(क) धारा 114ख के अधीन समनुषंगी अनुदेश करने से संबंधित विषय ; और

(ख) कोई अन्य मुद्दा जो इसके द्वारा अवधारित किया जाए:

परंतु परामर्श समिति की सलाह प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी ।"।

धारा 115 का लोप ।

70. मूल अधिनियम की धारा 115 का लोप किया जाएगा ।

धारा 116 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

71. मूल अधिनियम की धारा 116 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः—

"116. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, भारत से बाहर किसी देश में गठित, निगमित या अधिवसित किसी बीमाकर्ता को इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकेगी जिसे या तो आत्यंतिक रूप से आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या ऐसी शर्तों उपांतरणों के अध्यधीन हो जो ऐसे आदेश में उपबंधित की जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किए जाने वाला आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष इसके बनाए जाने के शीघ्र पश्चात् रखा जाएगा ;" ;

धारा 116क का संशोधन

72. मूल अधिनियम की धारा 116क के परन्तु में "धारा 28 की उपधारा (1)"शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् या धारा 28क या धारा 28ख शब्दों, अंकों और अक्षरों तथा "की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों को कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

धारा 117 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

73. मूल अधिनियम की धारा 117 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः—

"117. जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई बात ऐसे बीमाकर्ता के दायित्व को,जो एक कंपनी है, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन करन के लिए प्रभावित नहीं करेगी ।"।

2013 का 18

धारा 118 का संशोधन ।

74. मूल अधिनियमा की धारा 118 में,—

(i) खंड (ग) में, "धारा 617" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 2 के खंड (45)" शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, —

(क) उपखंड (i) में, "आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 58ढ के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "आयकर अधिनियम,1961 की धारा (2) की उपधारा (6)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

1922 का 11

1961 का 43

(ख) उपखंड (ii) में, "आश्रितों के पारस्परिक फायदे के लिए सरकारी सेवकों या सरकारी पेंशनधारियों के द्वारा या निमित्त कायम रखी जाती है ; या" शब्दों के स्थान पर, "आश्रित के पारस्परिक फायदे के लिए सरकारी सेवकों या सरकारी पेंशनधारियों के द्वारा या निमित्त कायम रखी जाती हैं ;

(ग) उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 119 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

75. मूल अधिनियम की धारा 119 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थातः—

रजिस्ट्रीकरण से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रतियों का दिया जाना ।

"119. कोई भी व्यक्ति, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं,—

(i) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी के पास बीमाकर्ता द्वारा फाइल दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा ; और

(ii) किसी ऐसे दस्तावेज या उसके भाग की प्रति अभिप्राप्त कर सकेगा ।"।

धारा 120 का लोप ।

76. मूल अधिनियम की धारा 120 का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 3

1956 का 31

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

77. जीवन बीमा निगम अधिनियम,1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् बीमा निगम अधिनियमकहा गया है)की धारा 2 में,—

(i) खंड (3) के उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (6) में, "और बीमा अधिनियम की धारा 65 में यथा परिभाषित भविष्य सोसाइटी"शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

78. बीमा निगम अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (2) में, कंपनी अधिनियम, 1956 शब्दों और अंकों के स्थान पर कंपनी अधिनियम, 2013 शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1956 का 31 2013 का 18

धारा 18 का संशोधन ।

79. बीमा निगम अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः-

"(2) निगम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर और चेन्नई में आंचलिक कार्यालय स्थापित करेगा, और ऐसे अन्य आंचलिक कार्यालय भी स्थापित कर सकेगा जो वह उचित समझता है ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

80. बीमा निगम अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) में "विहित रीति में" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 24 का संशोधन ।

81. बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के, पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां निगम की शाखा या कार्यालय भारत से बाहर किसी देश में स्थित है वहां ऐसी शाखा या कार्यालय की निधियां उस देश की विधियों के अनुसार अनुरक्षित की जाएंगी । "

धारा 28 का संशोधन

82.बीमा निगम अधिनियम की धारा 28 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जहां निगम की कोई शाखा या कार्यालय भारत से बाहर किसी देश में स्थित है वहां ऐसी शाखा या कार्यालय के अधिशेष ऐसे देश की विधियों के अनुसार उपयोजित किए जाएंगे ।"

धारा 30क का संशोधन

83.बीमा निगम अधिनियम की धारा 30क में,—

"बीमा अधिनियम, 1938" शब्दों और अंकों के पश्चात् "जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 के आधार पर निगम को यथा लागू " शब्द, अंक और कोष्ठक अन्त:स्थापित किए जाएंगे । 1956 का 31

84. बीमा निगम अधिनियम की धारा 43में,— धारा 43 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,"47क"अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा और "110ग", 119, 121, 122 और 123अंकों, अक्षर और शब्द के स्थान पर, "110ग"और 119 अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "28क" "40क" और "44" अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

(ii) "40ख" अंकों और अक्षर के पश्चात् "42" अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(iii) " 107 से 110 तक" अंकों और अक्षरों के स्थान पर "108 से 110" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा।

(घ) उपधारा (3) में, "बीमा अधिनियम" शब्दों के पश्चात्

"और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

85. बीमा निगम अधिनियम की धारा 44के खंड (ख) का लोप किया जाएगा । धारा 44 का संशोधन

86. बीमा निगम अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (ज्) का लोप किया जाएगा । धारा 48 का संशोधन

अध्याय 4

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999

1999 का 41

87. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात बीमा प्राधिकरण कहा गया है) की धारा 2, उपधारा (1) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः— धारा 2 का संशोधन ।

1938 का 4

'(च) "बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10ख) में उसका है ।

88. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 की दीर्घ पंक्ति में "लेखाकर्म, प्रशासन" शब्दों के पश्चात, ",सूचना प्रौद्योगिकी" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । धारा 4 का संशोधन ।

1938 का 4

89. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 5 का संशोधन ।

(1) अध्यक्ष और अन्य पूर्ण कालिक सदस्यों की पदावधि उस तारीख से पांच वर्ष होगी जिस को वे अपना पद ग्रहण करते है या उनके द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इन में जो भी पहले हो, और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगें ।

90. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में,— धारा 14 का संशोधन ।

(i) खंड (i) में, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64प के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा इस प्रकार नियमित और विनियमित नहीं किया जाता है, शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

(ii) खंड (ढ़) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"बीमा अधिनियम, 1938 और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए ऐसी शास्ति अधिरोपित करना" 1938 का 4

नई धारा 14क से 14ड. का अंत:स्थापन ।

91. बीमा प्राधिकरण की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगा, अर्थात्:—

"14क. प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के प्रयोजन के लिए और बीमा कारबार को विनियमित करने तथा विकसित करने के लिए,—

(क) नीतियों से संबंधित जानकारी ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे और किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों से दावे एकत्रित कर सकेगी"

(ख) धारा 14ग के उपबंधों के अनुसार किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों को ऐसी जानकारी दे सकेगी ।

14ख. (1) प्राधिकरण को इस अधिनियम तथा बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए , यह किसी भी समय बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों को निदेश दे सकेगी वे ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पॉलिसियों और पालिसी धारक संबद्ध जानकारी से संबंधित विवरण प्रस्तुत करे ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या इसके गठन को विनियमित करने वाले किसी लिखत में या इसके द्वारा निष्पादित किसी करार, जो इसके घटकों से संबंधित इसकी गोपनीयता से संबंधित है, में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्व उपधारा (1) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करेगा ।

बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों को पालिसी धारक या नीति संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया ।

14ग. (1) बीमाकर्ता, इसके द्वारा किसी व्यक्ति को, जारी या जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में जो प्राधिकरण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे आवेदन कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की ऐसी अवधि के भीतर प्रक्रिया कर सकेगा जो विनियमों द्वारा बीमाकर्ता प्राधिकरण को यह पुष्ट करने के पश्चात् ही विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे व्यक्ति ने विद्यमान विधि के अनुसार और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार अपनी संबद्ध नीति की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सहमति दे दी है जिसके अंतर्गत ऐसी सहमति के साक्ष्य का परिरक्षण भी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पर प्राधिकरण यथा संभव शीघ्र आवेदक को ऐसी पालिसी संबद्ध सूचना प्रदान करेगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट हो, जैसी उसके कब्जे में हो :

परंतु इस प्रकार प्रस्तुत की गई ऐसी जानकारी में ऐसे किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों के नाम प्रकटित नहीं होंगे जिन्होंने प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रस्तुत की है ।

(4) प्राधिकरण, ऐसे आवेदन के संबंध में ऐसी फीस उद्ग्रहण कर सकेगा जो वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ठीक समझे ।

प्रतिषिद्ध जानकारी का प्रकटन ।

14घ. (1) धारा 14ख के अधीन किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत या धारा 14ग के अधीन किसी बीमाकर्ता या अन्य विनिमित अस्तित्वों को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किसी विवरण में अंतर्विष्ट जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और विनिर्दिष्ट आशयित प्रयोजनों के लिए प्रकाशित की जाएगी या प्रकटित की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

(2) इस धारा की कोई बात,—

(क) धारा 14ख या धारा 14ग के अधीन प्राधिकरण को प्रस्तुत किसी जानकारी की किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों द्वारा प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से, प्रकटन को लागू नहीं होगी ;

(ख) यदि वह ऐसी समेकित रूप में जो वह किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों या पालिसी धारक के नाम को प्रकटित किए बिना ठीक समझे धारा 14ख या धारा 14ग के अधीन उसके द्वारा संग्रहित जानकारी का प्राधिकरण द्वारा प्रकाशन यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, लागू नहीं होगी ;

(ग) समय समय पर जारी किए जाने वाले विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा यथा अनुज्ञात किसी अन्य बीमा कंपनी, मध्यवर्ती या विनियमित अस्तित्व को किसी पालिसी संबद्ध जानकारी का प्राधिकरण बीमा या अन्य विनियमित अस्तित्वों द्वारा प्रकटन या प्रकाशन को लागू नहीं होगी ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण, या किसी बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों को उस बीमाकर्ता या धारा 14ख या धारा 14ग के अधीन उस बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किसी विवरण के निरीक्षण को करने के लिए या धारा 14ग के अधीन उस बीमाकर्ता या अन्य विनियमित अस्तित्वों को प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किसी भी पालिसी संबद्ध जानकारी को प्रकट करने के लिए विवश नहीं करेगा ।

प्राधिकृत करने की शक्ति ।

14ङ. प्राधिकरण, धारा 14क से धारा 14घ तक के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए, इसके द्वारा विनियमित किसी अस्तित्व या उक्त आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए वैसे ही उद्देश्य रखने वाले किसी अन्य कानूनी निकाय को साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा । "।

धारा 16 का संशोधन ।

92. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में "इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के पश्चात् "और बीमा अधिनियम, 1938 " शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) पूंजीगत व्यय, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक पूंजी व्यय प्लान के अनुसार "

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'(3) प्राधिकरण, आरक्षित निधि गठित करेगा और किसी वर्ष में निधि का वार्षिक अभिशेष का पच्चीस प्रतिशत ऐसी आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा और ऐसी निधि पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के कुल वार्षिक व्यय से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी व्यय उपगत करने के पश्चात् तथा उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि अंतरित करने के पश्चात् निधि का अधिशेष भारत की संचित निधि में अंतरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आरक्षित निधि" पर से धारा 16 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में निधि का अधिशेष रखने के लिए निधि अभिप्रेत है ।'1

नई धारा 16क का अंत:स्थापन ।

93. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पालिसी धारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि का गठन ।

"16क. (1) प्राधिकरण पालिसी धारक शिक्षा और संरक्षण निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगा ।

(2) पालिसी धारक, शिक्षा और संरक्षण निधि में निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) कोई अनुदान और संदान पालिसी धारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, प्राधिकरण, कंपनियों या किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा पालिसी धारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि में दिया जाएगा ;

(ख) इस अधिनियम या बीमा अधिनियम, 1938 या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा शास्तियों के रूप में वसूल की गई राशियां ; और 1938 का 44

(ग) ऐसी अन्य राशियां जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) पालिसी धारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति में और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं पालिसी धारकों की शिक्षा तथा पालिसी धारकों के हितों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

धारा 23 का संशोधन ।

94. बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए, अधिसूचना द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों या निर्बंधनों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं विनियम बनाने की शक्ति तथा बीमाकर्ता को रजिस्टर करने की शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक या समीचीन समझे ।" ।

95. बीमा प्राधिकरण की धारा 26 में निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्: — धारा 26 का संशोधन ।

"(1) प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बना सकेगा और ऐसे नियम बनाते समय,—

(क) ऐसे अन्य ब्यौरों जो वेबसाइट पर विनिर्दष्ट किए जाएं के साथ प्रारूप विनियमों को प्रकाशित करके तथा ऐसे विनियमों को जारी करने से पूर्व विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लोक टीका टिप्पणियां आमंत्रित करके ;

(ख) लोक टीका टिप्पणियां, जो विनियमों की अधिसूचना की तारीख से बाद की ना हों के प्रति अपने जवाब का साधारण विवरण प्रकाशित करके ;और

(ग) आवधिक रूप से ऐसे विनियमों का पुनर्विलोकन करके,

पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा :

परंतु यदि प्राधिकरण की यह राय है कि कतिपय विनियमों का बनाया जाना अपेक्षित है या विद्यमान विनियमों को तुरंत जनहित में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक है और विनियमों की विषय वस्तु, प्राधिकरण के आंतरिक कार्यकरण से एकमात्र रूप से संबंधित है, तब यह ऐसा करने के लिए प्रकाशन से पूर्व की शर्त और ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने की छूट दे सकेगा :

परंतु यह और कि यदि प्राधिकरण, इसके द्वारा प्राप्त टीका टिप्पणियों पर विचार करते हुए किए गए परिवर्तनों से भिन्न प्रस्तावित विनियमों से सारवान रूप से भिन्न रूप में विनियमों का अनुमोदन करने का विनिश्चय करता है तो यह इस उपधारा में उल्लिखित प्रक्रिया को निरसित करेगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बीमा अधिनियम, 1938 ("बीमा अधिनियम") देश में बीमा के कारबार से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था । इसके उपरांत बीमा कारबार को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया और 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई । उसी समय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 ("आईआरडीए एक्ट") पालिसी-धारकों हितों का संरक्षण करने तथा बीमा उद्योग का विनियमन, संपवर्तन तथा उसका व्यवस्थित रूप से विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । ये दो अधिनियम, दो अन्य अधिनियमों के साथ, अर्थात्, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 ("एलआईसी एक्ट") और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 ("जीआईबीएनए एक्ट") देश में बीमा सेक्टर के लिए विधायी ढांचा बनाते हैं ।

2. पिछले दो दशकों के दौरान, बीमा सेक्टर पर्याप्त रूप से विस्तारित हुआ है और इसने व्यक्तियों, संपत्ति और उपक्रमों को बीमा कवर की व्यवस्था की है । तथापि, बीमा सेक्टर को अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसे समर्थ बनाने के लिए इसकी वृद्धि और विकास को तेज करने के लिए, ऊपर उल्लिखित बीमा विधियों में प्रगति की ओर अग्रसर करने वाले सुधारों की एक श्रृंखला को आरंभ करना आवश्यक है । पालिसी-धारकों के संरक्षण का वर्धन करने के लिए और बीमा कंपनियों तथा विनियामक के शासन और प्रचालन में पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में पालिसी-धारकों के विश्वास का वर्धन किया जा सके, नागरिकों के बीच बीमा के बारे में बेहतर जागरुकता का सृजन करने की भी आवश्यकता है ।

3. इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों अर्थात्:—

(क) बीमा सेक्टर की वृद्धि और विकास को और तेज करने ;

(ख) पालिसी धारकों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने ;

(ग) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों और अन्य हितधारकों के लिए कारबार करने की सुगमता में सुधार करने ;

(घ) विनियम बनाने में पारदर्शिता लाने और इस सेक्टर पर विनियामक निरीक्षण में सुधार करने,

के लिए संसद् में, बीमा अधिनियम, एलआईसी अधिनियम और आईआरडीए अधिनियम में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का संशोधन करने के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

4. खंडों पर टिप्पण इस विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं ।

5. विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली
12 दिसंबर, 2025

निर्मला सीतारामन

खंडो पर टिप्पण

खंड 1—विधेयक का यह खंड प्रस्तावित विधान के "संक्षिप्त नाम और प्रारंभ" का उपबंध करता है।

खंड 2—विधेयक का यह खंड कतिपय अभिव्यक्तियों के स्थान पर कुछ अन्य अभिव्यक्तियों को रखने के लिए है।

खंड 3—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करने के लिए है, जिससे उसके स्थान पर कतिपय शब्द जैसे "बीमा कारबार का वर्ग", "स्वास्थ्य बीमा कारबार", "बीमा कारबार", "बीमाकर्ता" और "बीमा मध्यवर्ती" आदि को रखने, अन्तःस्थापित करने और लोप किया जा सके।

खंड 4—यह धारा परिभाषा के मूल अधिनियम की धारा 2ग में संशोधन करने के लिए है जिसमें कानूनी निकायों, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं को उनकी पात्रता को मान्यता देना शामिल है और आगे सीमा पार पुनर्बीमाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उक्त अधिनियम की परिधि में लाया जा सके।

खंड 5—विधेयक का यह खंड विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में बीमा मध्यस्थों को शामिल करने हेतु मूल अधिनियम की धारा 2गक में संशोधन करने के लिए है, जिससे केन्द्रीय सरकार को ऐसे केन्द्रों पर उक्त अधिनियम के उपबंध लागू करने की अनुमति मिल सके।

खंड 6—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकरण को बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रदान करने के लिए सशक्त किया जा सके।

खंड 7—विधेयक का यह खंड भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सक्षम करने के लिए मूल अधिनियम में नई धारा 3कक अन्तःस्थापित करने के लिए है।

खंड 8—विधेयक का यह खंड विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों के लिए शुद्ध स्वामित्व वाली निधि आवश्यकताओं को कम करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिक विदेशी पुनर्बीमा कंपनियों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

खंड 9—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 6क में संशोधन करने के लिए है जिससे बीमा कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी के एक प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक शेयरों के अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण से पहले मंजूरी की आवश्यकता को बदला जा सके, जिससे कारबार करना सरल हो सके और बीमा कंपनियों पर अनुपालन का भार कम हो सके।

खंड 10—विधेयक का यह खंड उक्त अधिनियम में "बीमा कारबार" की परिभाषा को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप मूल अधिनियम की धारा 6ख में संशोधन करने के लिए है।

खंड 11—विधेयक का यह खंड नियंत्रक के संदर्भ को प्राधिकरण के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 12—विधेयक का यह खंड बीमा कंपनियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अन्य वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 13—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम में नया खंड 12क जोड़ने के लिए है जिससे प्राधिकरण को बीमांकक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड और अनुभव को निर्दिष्ट करने का अधिकार मिल सके।

खंड 14—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 13 में संशोधन करने के लिए है। जिससे "संक्षिप्ति" शब्द का लोप किया जाए और प्रत्येक बीमा कंपनी की देनदारियों और वित्तीय स्थिति की बीमांकक से जांच कराने का प्रबंध किया जाए, जिससे सभी बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों को एक ही रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन लाया जा सके।

खंड 15—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करने और उक्त

अधिनियम में नई धाराएं 14क, 14ख और 14ग जोड़ने के लिए है जिससे बीमा कंपनियों को उनके द्वारा जारी पॉलिसियों का पूरा रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारकों की सूचना के प्रसंस्करण के लिए उपबंध किया जा सके, पॉलिसीधारकों की सूचना की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ऐसी सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

खंड 16—विधेयक का यह खंड विवरणी के इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए मूल अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 17—विधेयक का यह खंड उपबंधों को अद्यतन और सरल करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 21 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 18—विधेयक का यह खंड उपबंधों को अद्यतन और सरल करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 22 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 19—विधेयक का यह खंड उपबंधों को अद्यतन और सरल करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 26 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 20—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 27 में संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं द्वारा आस्तियों के विनिधान के समय, रीति और अन्य शर्तों को विनियमों द्वारा सशक्त किया जा सके।

खंड 21—विधेयक का यह खंड बीमाकर्ताओं द्वारा आस्तियों के विनिधान से संबंधित धारा 27 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप मूल अधिनियम की धारा 27क, 27ख, 27ग और 27घ का लोप करने के लिए है।

खंड 22—विधेयक का यह खंड उक्त अधिनियम की धारा 27क, 27ख, 27ग और 27घ के लोप के परिणामस्वरूप उपबंधों को अद्यतन और सरल करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 30 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 23—विधेयक का यह खंड बीमाकर्ताओं द्वारा आस्तियों के विनिधान से संबंधित धारा 27 के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप मूल अधिनियम की धारा 31 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 24—विधेयक का यह खंड उक्त अधिनियम के उपबंधों को सरल बनाने के लिए मूल अधिनियम की धारा 31क में संशोधन करने के लिए है।

खंड 25—विधेयक का यह खंड सभी बीमा कंपनियों के लिए सामान्य प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निषेध को बढ़ाने के लिए मूल अधिनियम की धारा 32क को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

खंड 26—विधेयक का यह खंड बीमा कारोबार की परिभाषा को शामिल करने के परिणामस्वरूप मूल अधिनियम की धारा 32ख में संशोधन करने और ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में कारबार करने की बाध्यता को बीमा कारबार की सभी श्रेणियों तक बढ़ाने की मांग करने के लिए है।

खंड 27—विधेयक का यह खंड बीमा कारबार की परिभाषा को शामिल करने के परिणामस्वरूप मूल अधिनियम की धारा 32ग में संशोधन करने और ग्रामीण या असंगठित क्षेत्र तथा समाज के पिछड़े वर्गों के संबंध में कारबार करने की बाध्यता को बीमा कारबार के सभी वर्गों तक बढ़ाने की मांग करने के लिए है।

खंड 28—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उपधारा (6) के खंड(क) में "बीमा मध्यवर्ती" शब्द को अंतःस्थापित किया जा सके, जिससे प्राधिकरण की निरीक्षण तथा अन्वेषण करने की शक्ति का विस्तार बीमा मध्यवर्तियों तक किया जा सके।

खंड 29—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 33क में संशोधन करने के लिए है, जिससे

प्राधिकरण को बीमा मध्यवर्ती द्वारा दी गई विवरणी, कथन और सूचना की जांच के लिए कर्मचारियों की नियुक्ती करने को सशक्त किया जा सके।

खंड 30—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 34 में संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकरण को बीमा मध्यवर्ती को निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके और सदोष लाभ या टाली गई हानि की वसूली सहित ऐसे निदेशों की परिधि को स्पष्ट किया जा सके।

खंड 31—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 34क में संशोधन करने के लिए है जिससे विधि के अनावश्यक उपबंधों को विधि के नवीनतम उपबंधों से प्रतिस्थापित किया जा सके।

खंड 32—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 34ज में संशोधन करने के लिए है जिससे तलाशी और जब्ती के संबंध में प्राधिकरण की शक्ति बीमा मध्यवर्ती पर भी बढ़ाई जा सके।

खंड 33—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 35 में संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकरण को बीमाकर्ता और बीमा कारबार में शामिल नहीं किसी कंपनी के बीच विलय, विभाजन, विपरीत विलय आदि सहित व्यवस्था की एक स्कीम को मंजूरी देने को सशक्त किया जा सके।

खंड 34—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 37 में संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के अनावश्यक उपबंधों को प्रतिस्थापित किया जा सके।

खंड 35—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 37क में संशोधन करके "नियंत्रक" के स्थान पर "प्राधिकरण" शब्द रखने के लिए है।

खंड 36—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 40 में संशोधन करने के लिए है जिससे प्राधिकरण को पॉलिसीधारकों के हित में किसी बीमा अभिकर्ता या बीमा मध्यवर्ती को देय किसी भी रूप में कमीशन, पारिश्रमिक या पुरस्कार की सीमा विनिर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जा सके।

खंड 37—विधेयक का यह खंड मूल उक्त अधिनियम की धारा 40ख के पार्श्व शीर्षक में संशोधन करने के लिए है।

खंड 38—विधेयक का यह खंड मूल उक्त अधिनियम की धारा 40ग के पार्श्व शीर्षक में संशोधन करने के लिए है।

खंड 39—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 41 में संशोधन करने करने के लिए है जिससे जीवन बीमा से कतिपय कमीशनों पर छूट के निषेध के अपवाद को बीमा कारबार के सभी वर्गों तक बढ़ाया जा सके।

खंड 40—विधेयक का यह खंड प्राधिकरण द्वारा बीमा मध्यवर्ती के पंजीकरण, निलंबन और रद्दीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 42घ में संशोधन करने के लिए है।

खंड 41—विधेयक का यह खंड मूल अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने के लिए है जिससे बीमा पॉलिसी के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में न्यायालय में धन का भुगतान करने का उपबंध सभी बीमा कंपनियों पर लागू हो सके।

खंड 42–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 48ख में संशोधन करके उक्त अधिनियम के उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए है।

खंड 43–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 49 में संशोधन करके सभी बीमाकर्ताओं पर अधिशेष से लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंधों का विस्तार करने के लिए है ।

खंड 44–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 51 में संशोधन करके पॉलिसी धारक द्वारा बीमाकर्ता से पूछे गए प्रश्नों की प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क को संशोधित करने के लिए है ।

खंड 45–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 52क में संशोधन करके प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं के

निदेशक बोर्ड को हटाने का अधिकार देने के लिए है, जहां एक प्रशासक नियुक्त किया गया है।

खंड 46–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 55 में संशोधन करके विधि के पुराने उपबंध को विधि के नवीनतम उपबंध से प्रतिस्थापित करने के लिए है।

खंड 47–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 61क में संशोधन करके अपीलीय प्राधिकरण पर कारणों को दर्ज करने का दायित्व डालने के लिए है, यदि अपील अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर निपटाई नहीं जाती है।

खंड 48–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64 में संशोधन करके प्राधिकरण को आदेश द्वारा वह समय निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए है जिसके भीतर लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को जमा करने के संबंध में लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके।

खंड 49–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64च में संशोधन करके जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद की सदस्यता का विस्तार करने के लिए है और दोनों परिषदों में केंद्रीय सरकार द्वारा नामित दो व्यक्तियों की सदस्यता का उपबंध करने के लिए है।

खंड 50–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64छ में संशोधन करके अधिनियम को लिंग तटस्थ बनाने के लिए है।

खंड 51–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64ज में संशोधन करके परिभाषित शब्द "सामान्य बीमा परिषद" के उपयोग को उक्त अधिनियम के उपबंधों के साथ संरेखित करने के लिए है।

खंड 52–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64ट में संशोधन करके पुराने उपबंधों का लोप करने के लिए है ।

खंड 53–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64ठ में संशोधन करके स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय को सामान्य बीमा परिषद के कार्यों के दायरे में लाने के लिए है और उक्त अधिनियम की धारा 64(ग) के साथ संरेखित करने के लिए है।

खंड 54–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64ड में संशोधन करके उक्त अधिनियम के गैर-ज़रूरी उपबंधों का लोप करने के लिए है।

खंड 55–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64द में संशोधन करके जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् को उप-विधियों में ज़रूरी फीस तय करने का अधिकार देने के लिए है और उक्त अधिनियम की धारा 64द(1)(घ)(iv) के साथ संरेखित करने के लिए है।

खंड 56–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64पठक को हटाकर उक्त अधिनियम के अनावश्क उपबंधों का लोप करने के लिए है ।

खंड 57–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64फख में संशोधन करने के लिए है ताकि प्रीमियम के ऑनलाइन भुगतान के मामलों को शामिल किया जा सके।

खंड 58–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 101क में संशोधन करने के लिए है ताकि बीमा राशि के प्रतिशत के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके।

खंड 59–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 102 में संशोधन करने के लिए है ताकि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन अननुपालन को दंड के लिए शामिल किया जा सके और न्यूनतम दंड और अधिकतम राशि को तर्कसंगत बनाया जा सके।

खंड 60–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 104 में संशोधन करने के लिए है ताकि उक्त अधिनियम की धारा 27क, 27ख और 27घ को हटाने के परिणामस्वरूप अनावश्यक उपबंधों के संदर्भ को हटाया जा सके।

खंड 61–यह खंड मूल अधिनियम में नई धारा 105खक अंत:स्थापित करने के लिए है ताकि दंडात्मक उपबंधों को धारा 42घ से धारा 105खक में स्थानांतरित किया जा सके और दंड की न्यूनतम

सीमा निर्दिष्ट की जा सके।

खंड 62–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 105ग में संशोधन करने के लिए है ताकि उक्त अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप परिवर्तन किए जा सकें।

खंड 63–यह खंड मूल अधिनियम में धारा 105ड. अंत:स्थापित करने के लिए है ताकि उन कारकों का उपबंध किया जा सके जिन्हें प्राधिकरण को उक्त अधिनियम के अधीन दंड निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

खंड 64–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 106 में संशोधन करने के लिए है ताकि अनावश्यक प्रावधानों का लोप किया जा सके।

खंड 65–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 110ख में संशोधन करने के लिए है ताकि अनावश्यक उपबंधों का लोप किया जा सके।

खंड 66–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 110च में संशोधन करने के लिए है ताकि अनावश्यक उपबंधों को विधि के नवीनतम उपबंधों से प्रस्थापित किया जा सके।

खंड 67–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 114 में संशोधन करने के लिए है ताकि नियम बनाने की शक्तियों में संशोधन किया जा सके।

खंड 68–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 114क में संशोधन करने के लिए है ताकि विनियमन बनाने की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सके और सार्वजनिक परामर्श और विनियमों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता द्वारा विनियमन बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रदान की जा सके।

खंड 69–यह खंड मूल अधिनियम में नई धारा 114ख और 114ग अंत:स्थापित करने के लिए है ताकि प्राधिकरण के अध्यक्ष या पूर्वकालिक सदस्यों द्वारा किसी भी विनियम में अस्पष्टता को दूर करने या किसी भी विनियम से जुड़ी प्रक्रियात्मक ज़रूरतों को तय करने के लिए, विनियम द्वारा बनाई गई एक सलाहकार समिति के साथ सलाह करके, समनुषंगी निर्देश जारी किए जा सकें।

खंड 70–यह खंड उपबंधों को अपडेट और बेहतर बनाने के लिए मूल अधिनियम की धारा 115 का लोप करने के लिए है।

खंड 71–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 116 में संशोधन करके उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए है और इस धारा के अधीन आदेशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का उपबंध करता है।

खंड 72–यह खंड उक्त अधिनियम के उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 116क में संशोधन करने के लिए है।

खंड 73–यह खंड उक्त अधिनियम के उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 117 में संशोधन करने के लिए है।

खंड 74–यह खंड उक्त अधिनियम के उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 118 में संशोधन करने के लिए है ।

खंड 75–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 119 में संशोधन करके प्राधिकरण को बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण के पास जमा किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रति लेने के लिए फीस तय करने का अधिकार देने के लिए है।

खंड 76–यह खंड उक्त अधिनियम के उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 120 का लोप करने के लिए है।

खंड 77–यह खंड जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (बीमा निगम अधिनियम) की धारा 2 में संशोधन करके उक्त अधिनियम के उपबंधों को हटाने, अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए है।

खंड 78–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 6क में संशोधन करके कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भों को अपडेट करने के लिए है।

खंड 79–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 18 में संशोधन करके निगम को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, स्वप्रेरणा से आंचलिक कार्यालय स्थापित करने का अधिकार देने के लिए है।

खंड 80–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 22 में संशोधन करके कर्मचारियों और अभिकर्ता सम्पर्क समिति के गठन का तरीका निगम द्वारा निर्धारित करने का उपबंध करने के लिए है।

खंड 81–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करके निगम की विदेशी शाखाओं को उस देश की विधियों के अनुसार शाखा या कार्यालय की निधि बनाए रखने का उपबंध करने के लिए है।

खंड 82–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 28 में संशोधन करके निगम की विदेशी शाखाओं को उस शाखा या कार्यालय में अधिशेष का उपयोग उस देश की विधि के अनुसार करने का उपबंध करने के लिए है।

खंड 83–यह खंड बीमा निगम अभिकरण की धारा 30क में संशोधन करने के लिए है ताकि निगम के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों का पालन करना अनिवार्य हो जाए, जो बीमा निगम अधिनियम की धारा 43 के अधीन उस पर लागू होते हैं।

खंड 84–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 43 में संशोधन करने के लिए है ताकि उक्त अधिनियम के पुराने उपबंधों के संदर्भों को हटाया जा सके।

खंड 85–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 44 में संशोधन करने के लिए है ताकि उक्त अधिनियम के एक अनावश्यक उपबंध के संदर्भ को हटाया जा सके।

खंड 86–यह खंड बीमा निगम अधिनियम की धारा 48 में संशोधन करके कर्मचारियों और अभिकर्ताओं की संबंध समिति के गठन के तरीके के लिए नियम बनाने की शक्ति के संदर्भ का लोप करने के लिए है।

खंड 87–यह खंड बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (बीमा प्राधिकरण अधिनियम) की धारा 2 में संशोधन करके उक्त अधिनियम में बीमा मध्यवर्ती की परिभाषा को संशोधित और प्रतिस्थापित करने के लिए ।

खंड 88–यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करके प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए वांछनीय योग्यताओं में सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान और अनुभव को शामिल करने के लिए है।

खंड 89–यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करके अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के लिए पद धारण करने की आयु सीमा में समानता लाने के लिए है।

खंड 90–यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करके उक्त अधिनियम के उपबंधों को अपडेट और सुव्यवस्थित करने के लिए है।

खंड 91–यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम में नई धाराएँ 14क, 14ख, 14ग, 14घ, और 14ड. अंत:स्थापित करने के लिए है ताकि प्राधिकरण को अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए बीमाकर्ताओं और अन्य विनियमित संस्थाओं से पॉलिसियों और दावों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और बीमा व्यवसाय को विनियमित और विकसित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

खंड 92–यह खंड प्राधिकरण अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करके प्रतिभूति बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वार्षिक अधिशेष निधियों को एक आरक्षित निधि में रखने और प्राधिकरण द्वारा सभी खर्चों के बाद अधिशेष को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित करने का उपबंध करने के लिए है।

खंड 93—यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम में नई धारा 16क अंत:स्थापित करने के लिए है ताकि पॉलिसी धारकों के शिक्षा और संरक्षण कोष के निर्माण की अनुमति दी जा सके।

खंड 94—यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 23 में संशोधन करके प्राधिकरण को विनियम बनाने और बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रदान करने की शक्तियों को छोड़कर, अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को कार्य सौंपने में सक्षम बनाने के लिए है।

खंड 95—यह खंड बीमा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 26 में संशोधन करके विनियमन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने और उपबंध को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क में संबंधित परिवर्तन के साथ संरेखित करने के लिए है।

वित्तीय ज्ञापन

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 के उपबंधों को, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 67, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 का संशोधन करने के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, धारा 3कक की उपधारा (2) के अधीन विदेशी विनिधान की शर्तों से संबंधित, नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

2. विधेयक का खंड 68, अधिनियम की धारा 114क का संशोधन करने के लिए है, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त करती है । प्राधिकरण, विनियम बनाने में, ऐसे विनियम जारी करने से पूर्व लोक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्रारूप विनियमों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करके, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा । प्राधिकरण, निम्नलिखित विषयों पर विनियम बनाएगा, अर्थात् :-- (i) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और प्राप्तियों तथा संदायों का पृथक् लेखा तथा राजस्व और वित्तीय विवरण तैयार करना ; (ii) धारा 12क के अधीन किसी बीमांकक के लिए अर्हता मापदंड और अन्य शर्तें ; (iii) धारा 13 के अधीन वह प्रयोजन, जिसके लिए और वह रीति, जिसमें बीमांकक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है और वह प्ररूप और रीति, जिसमें विवरण संलग्न किया जाएगा ; (iv) धारा 15 के अधीन प्राधिकरण को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप, रीति और अवधि ; (v) धारा 27 की उपधारा (5) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा न्यास लिखत के निष्पादन की रीति ; (vi) धारा 27 के अधीन नियत समय और रीति में किसी बीमाकर्ता द्वारा आस्तियों का विनिधान ; (vii) धारा 35 की उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें संबंधित प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा कारबार के संबंध में तुलनपत्र और वह रीति, जिसमें बीमा कारबार के संबंध में बीमांकिक रिपोर्टें और उद्धरण तैयार किए जाएंगे तथा धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन कारबार के ठहराव या समामेलन या अंतरण की स्कीम के लिए रीति प्रक्रिया और अन्य शर्तें ; (viii) धारा 42घ की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति, संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और संदत्त की जाने वाली फीस ; (ix) कोई अन्य व्यतिक्रम, जिसके अधीन रहते हुए धारा 42घ की उपधारा (6) के खंड (viii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकेगा ; (x) धारा 42घ की उपधारा (4क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के संबंध में वार्षिक फीस और उक्त उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के लिए प्रक्रिया ; (xi) धारा 42घ की उपधारा (8) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने की फीस ; (xii) अवधि, सीमा और शर्तें, जिनके अधीन धारा 48ख की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण द्वारा कतिपय बीमाकर्ताओं को छूट दी जा सकेगी ; (xiii) धारा 119 के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण के पास प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के निरीक्षण और उक्त दस्तावेज या उसके भाग की एक प्रति प्राप्त करने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस ; (xiv) धारा 114ख के अधीन समनुषंगी अनुदेश देने की रीति और शर्तें ; और (xv) धारा 114ग के अधीन परामर्शी समितियों के गठन की रीति ।

3. विधेयक का खंड 69, अधिनियम में धारा 114ख अंत:स्थापित करने के लिए है, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष या एक या अधिक पूर्णकालिक सदस्यों को, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं,

(i) विनियमों में किसी अस्पष्टता, यदि कोई हो, को स्पष्ट करने ; और (ii) किसी विनियम के लिए सहायक प्रक्रियागत अपेक्षा अधिकथित करने हेतु, समनुषंगी अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है ।

4. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और बनाए जा सकेंगे या समनुषंगी अनुदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्यांक 4) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो–

* * * * * *

(3) "अनुमोदित प्रतिभूतियां" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैः–

* * * * * *

(ii) धनराशि के लिए डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियां, जो पत्तन न्यास या नगर निगम या किसी प्रेसिडेंसी नगर में नगर सुधार न्यास द्वारा या उसकी ओर से किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम के प्राधिकार के अधीन निर्गमित की गई है;

* * * * * *

(iv) ऐसी प्रतिभूतियां जो किसी भाग 'ख' राज्य की सरकार द्वारा निर्गमित की गई हैं या जिनके मूलधन और ब्याज की उसके द्वारा पूर्णतः गारण्टी दी गई है तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है; और

* * * * * *

(4क) "बैंककारी कम्पनी" तथा "कम्पनी" के वही अर्थ होंगे जो बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और (घ) में हैं; 1949 का 10

(5) किसी बीमाकर्ता या भाग 3 में यथापरिभाषित क्षेमदा सोसाइटी द्वारा या उसकी ओर से दी जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज की किसी प्रतिलिपि या उसके अनुवाद के सम्बन्ध में, "प्रमाणित" से ऐसे बीमाकर्ता या क्षेमदा सोसाइटी के प्रधान अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, प्रमाणित सही प्रतिलिपि या सही अनुवाद अभिप्रेत है;

* * * * * *

(6ग) "स्वास्थ्य बीमा कारबार" से उन संविदाओं को प्रभावी करना अभिप्रेत है, जो रुग्णता फायदे या चिकित्सा, शल्यचिकित्सा या अस्पताल खर्चे संबंधी, चाहे आंतरिक रोगी या बाह्य रोगी, फायदे, यात्रा रक्षावरण और व्यक्तिगत दुर्घटनावरण उपलब्ध कराते हैं;

* * * * * *

(7क) "भारतीय बीमा कंपनी" से कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो ऐसी कंपनी है, जो शेयरों द्वारा सीमित है, और,–

(क) जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन किसी पब्लिक कंपनी के रूप में बनाया और रजिस्ट्रीकृत किया गया है या बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर ऐसी कंपनी में संपरिवर्तित किया गया है; 2013 का 18

(ख) जिसमें विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा जिनके अन्तर्गत पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता भी हैं, साधारण शेयरों की कुल धृतियां ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की समादत्त साधारण पूंजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं है और उसमें विदेशी विनिधान ऐसी शर्तों और रीति के अधीन रहते हुए होगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "नियंत्रण" पद के अन्तर्गत अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने अथवा प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों, जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के करार या मत देने के करार भी हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार भी है;

(ग) जिसका एकमात्र प्रयोजन जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या पुनर्बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार करना है;

* * * * * *

(8क) "बीमा सहकारी सोसाइटी" से ऐसा कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो ऐसी सहकारी सोसाइटी है,–

(क) जो बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अधीन, सहकारी सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; 2002 का 42 1912 का 2 1984 का 51

(ख) जीवन बीमा कारबार, साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार की दशा में जिनके पास एक सौ करोड़ रुपए की न्यूनतम समादत्त पूंजी है;

(ग) जिसमें ऐसा कोई निगम निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो भारत के बाहर बनाया गया है या रजिस्ट्रीकृत है या तो स्वयं के द्वारा या उसकी सहायिकियों या नामनिर्देशितियों के माध्यम से, किसी भी समय, ऐसी सहकारी सोसाइटी की पूंजी की छब्बीस प्रतिशत से अधिक पूंजी धारित नहीं करता है; और

(घ) जिसका एकमात्र प्रयोजन भारत में जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार करना है;

(9) "बीमाकर्ता" से,—

(क) कोई भारतीय बीमा कंपनी, या

(ख) बीमा कारबार करने के लिए संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई कानूनी निकाय, या

(ग) कोई बीमा सहकारी सोसाइटी, या

(घ) भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा कारबार में लगी कोई विदेशी कंपनी,

अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी कंपनी" पद से भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन स्थापित या निगमित कोई कंपनी या निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लॉयड अधिनियम, 1871 (यूनाइटेड किंगडम) के अधीन स्थापित लॉयड सोसाइटी और उसका कोई सदस्य भी है;

* * * * * *

(10ख) "मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" के वही अर्थ होंगे जो उनके बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) में हैं;

* * * * * *

1956 का 1

(13खक) "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चख के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है;

(13खख) "राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10चद की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

1956 का 1

* * * * * *

(16) "प्राइवेट कम्पनी" और "पब्लिक कम्पनी" के वही अर्थ होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (68) और (72) में हैं; और

2013 का 18

* * * * * *

भाग 2

बीमाकर्ताओं को लागू उपबन्ध

कुछ व्यक्तियों द्वारा बीमा कारबार किए जाने का प्रतिषेध।

2ग. (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई भी व्यक्ति बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारंभ के पश्चात् भारत में किसी भी प्रकार का बीमा कारबार शुरू नहीं करेगा और भारत में किसी भी प्रकार का बीमा कारबार करने वाला कोई भी बीमाकर्ता ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई कारबार चालू नहीं रखेगा, जब तक कि वह–

1950 का 47

* * * * * *

(ख) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त ऐसी किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी न हो, 1912 का 2

(ग) भारत के बाहर किसी देश की विधि के अधीन निगमित ऐसा निगमित निकाय न हो जो प्राइवेट कम्पनी के स्वरूप का नहीं है :

परंतु यह भी कि भारतीय बीमा कंपनी से भिन्न कोई बीमाकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् भारत में इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार का बीमा कारबार करना आरंभ नहीं करेगा : 1999 का 41

परंतु यह भी कि कोई बीमाकर्ता जो बीमा कारबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या इस उपधारा के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में कोई बीमा कारबार कर सकेगा । 2005 का 28

* * * * * *

इस अधिनियम के उपबंधों को विशेष आर्थिक जोन को लागू करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

2गक. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध,–

(क) ऐसे बीमाकर्ता को लागू नहीं होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय है; या 2005 का 28

(ख) ऐसे किसी बीमाकर्ता को जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित किसी विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार करने वाली कोई भारतीय बीमा कंपनी, बीमा सहकारी सोसाइटी या धारा 2ग की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई निगमित निकाय है, ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ ही लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए । 2005 का 28

* * * * * *

रजिस्ट्रीकरण ।

3. (1) * * * * *

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज लगे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2क) यदि, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, नियंत्रक का समाधान हो जाता है कि–

(क) आवेदक की वित्तीय स्थिति और उसके प्रबंध का साधारण स्वरूप ठीक है;

(ख) आवेदक को संभाव्यतः उपलब्ध होने वाले कारबार की मात्रा तथा उसका पूंजी संघटन और उपार्जन की संभावनाएं पर्याप्त होंगी;

(ग) यदि आवेदन में विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के बीमा कारबार की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को दे दिया जाता है तो जनसाधारण का हित साधन होगा; और

(घ) आवेदक ने धारा 2ग, 5 और 31क के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है तथा उसने इस धारा की उन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है, जो उसे लागू हैं, तो नियंत्रक आवेदक को बीमाकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दे सकेगा ।

* * * * * *

(3) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसका ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त उद्यम है जिसके कारबार का मुख्य स्थान भारत के बाहर अधिवसित है या धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में यथा परिभाषित किसी बीमाकर्ता की दशा में, प्राधिकरण पहले से किए गए रजिस्ट्रीकरण को, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस देश में, जिसमें ऐसे व्यक्ति को बीमा कारबार करने से उस देश की विधि या प्रथा द्वारा विवर्जित किया गया है, विधारित कर सकेगा ।

* * * * * *

(5ग) जहां उपधारा (4) के खंड (क), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) या खंड (झ) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर दिया जाता है, वहां प्राधिकरण, स्वविवेकानुसार रजिस्ट्रीकरण को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा, यदि बीमाकर्ता उस तारीख से, जिसको निलंबन या रद्दकरण प्रभावी होता है, छह मास के भीतर अपनी आस्तियों के मूल्य के अपने दायित्वों की रकम से आधिक्य के संबंध में धारा 64फक के उपबंधों का अनुपालन कर देता है या वह धारा 3क की उपधारा (4) के अधीन किया गया आवेदन स्वीकार करा लेता है या वह प्राधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उस पर कोई ऐसा दावा, जो उपधारा (4) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट है, असंदत्त नहीं रहा है या यह कि उसने इस अधिनियम या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी विनियम की किसी अपेक्षा या किए गए किसी आदेश अथवा उन अधिनियमों के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का अनुपालन कर दिया है या यह कि उसने, यथास्थिति, बीमा कारबार या किसी विहित कारबार से भिन्न कोई कारबार करना बंद कर दिया है और वह ऐसे किन्हीं निदेशों का, जो प्राधिकरण द्वारा उसे दिए जाएं, अनुपालन करता है ।

1999 का 41

(5घ) यदि किसी बीमा कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (4) के अधीन रद्द कर दिया गया है तो, नियंत्रक उस बीमा कम्पनी के परिसमापन के या किसी वर्ग के बीमा कारबार के बारे में कम्पनी के कामकाज के परिसमापन के आदेश के लिए न्यायालय से आवेदन उस तारीख से जिसको वह रद्दकरण प्रभावी हुआ है, छह मास की समाप्ति के पश्चात् उस दशा में कर सकेगा जबकि बीमा कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण उपधारा (5ग) के अधीन पुनःप्रवर्तित न कर दिया गया हो या कम्पनी के परिसमापन के लिए न्यायालय में आवेदन पहले ही न कर दिया गया हो । न्यायालय उसमें ऐसे कार्यवाही कर सकेगा

मानो इस उपधारा के अधीन आवेदन, यथास्थिति, धारा 53 की उपधारा (2) के या धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन हो ।

* * * * * *

पूंजी के संबंध में अपेक्षा।

6. (1) ऐसा कोई बीमाकर्ता, जो धारा 2 के खण्ड (9) के उपखण्ड (घ) में यथापरिभाषित कोई बीमाकर्ता नहीं है, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् भारत में जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा या पुनः बीमा का कारबार कर रहा है तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास– 1999 का 41

(i) जीवन बीमा या साधारण बीमा का कारबार करने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, एक अरब रुपए की समादत्त साधारण पूंजी नहीं है; या

(ii) अनन्य रूप से स्वास्थ्य बीमा का कारबार करने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, एक अरब रुपए की समादत्त साधारण पूंजी नहीं है; या

(iii) किसी पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अनन्य रूप से कारबार करने वाले किसी व्यक्ति की दशा में, दो अरब रुपए की समादत्त साधारण पूंजी नहीं हैः

परंतु बीमाकर्ता, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और उनके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या निदेशों और तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य विधियों के उपबंधों के अनुसार इस धारा में यथा उपबंधित समादत्त साधारण पूंजी बढ़ा सकेगाः 2013 का 18 1992 का 15

परंतु यह और कि समादत्त साधारण पूंजी का अवधारण करने में, किसी बीमाकर्ता की विरचना और उसके रजिस्ट्रीकरण में उपगत ऐसे किन्हीं प्रारंभिक व्ययों को, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपवर्जित किया जाएगा ।

(2) धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में यथापरिभाषित कोई बीमाकर्ता तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास पांच हजार करोड़ रुपए से अन्यून की अपनी शुद्ध निधि न हो ।

* * * * * *

पूंजी संघटन तथा मतदान अधिकारों और शेयरों के हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर रखने से संबंधित अपेक्षाएं।

6क. (1) शेयरों द्वारा परिसीमित कोई भी पब्लिक कंपनी, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय भारत में है, तब तक जीवन बीमा कारबार या साधारण बीमा कारबार या स्वास्थ्य बीमा कारबार या पुनर्बीमा कारबार नहीं करेगी जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है, अर्थात्:–

(i) कंपनी की पूंजी ऐसे साधारण शेयरों के रूप में हो, जिनमें से प्रत्येक का एकल अंकित मूल्य है और ऐसी अन्य प्रकार की पूंजी के रूप में होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ii) शेयरधारकों के मतदान अधिकार साधारण शेयरों तक निर्बंधित हों;

(iii) अधिक से अधिक एक वर्ष की ऐसी अवधि के दौरान के सिवाय, जो शेयरों पर मांगों के संदाय के लिए कंपनी द्वारा अनुज्ञात है, सभी शेयरों की, चाहे

वे विद्यमान हों या न हों, समादत्त रकम एक समान हैः

परंतु ऐसी किसी पब्लिक कंपनी के संबंध में, जिसने बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारंभ के पूर्व मामूली शेयरों से भिन्न कोई ऐसे शेयर निर्गमित किए हैं जिनमें से प्रत्येक का एकल अंकित मूल्य है या जिसने ऐसे शेयर निर्गमित किए हैं जिनकी समादत्त रकम उन सब के लिए समान नहीं है, इस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तें ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होंगी ।

* * * * * *

(4) पूर्वोक्त जैसी कोई पब्लिक कंपनी जो जीवन बीमा कारबार, साधारण और स्वास्थ्य बीमा कारबार तथा पुनर्बीमा कारबार कर रही है–

* * * * * *

(ख) अपने शेयरों का कोई अंतरण तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगी–

* * * * * *

(iii) जहां किसी व्यष्टि, फर्म, समूह, समूह के संघटकों या उसी प्रबंध के अधीन निगमित निकाय द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरित किए जाने के लिए आशयित शेयरों का अभिहित मूल्य बीमाकर्ता की समादत्त साधारण पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक हो जाता है, वहां जब तक कि ऐसे अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया गया है ।

स्पष्टीकरण–इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "समूह" और "उसी प्रबंध" पदों के वही अर्थ होंगे, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में क्रमशः उनके हैं ।

2003 का 12

* * * * * *

(11) इस धारा की इस धारा के उपबन्ध बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारम्भ से ही उन बीमाकर्ताओं को, जो साधारण बीमा कारबार कर रहे हैं, निम्नलिखित उपान्तरों सहित लागू होंगे, अर्थात्:–

1950 का 47

1968 का 62

(i) उपधारा (1), (3), (5) और (6) में बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रति निर्देश है;

* * * * * *

पूंजी संघटन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध।

6ख. (1) जीवन या साधारण या स्वास्थ्य बीमा या पुनर्बीमा] कारबार करने वाली किसी पब्लिक कम्पनी को अपने पूंजी संघटन की धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु, प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया अधिकारी, इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 में किसी बात के होते हुए भी,–

1913 का 7

(क) कम्पनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रस्थापित किसी

स्कीम की जांच कर सकेगाः

परन्तु यह तब जब कि–

(i) वह स्कीम शेयरधारियों के अधिवेशन में उनकी राय के लिए रखी जा चुकी हो और उस पर शेयरधारियों की राय सहित उस अधिकारी को भेज दी गई हो, और

(ii) उस स्कीम से असमादत्त शेयर पूंजी की बाबत शेयरधारियों के दायित्व में कोई कमी न होती हो,

(ख) ऐसी प्रस्थापित स्कीम की बाबत आक्षेप और सुझाव आमंत्रित कर सकेगा, और

(ग) ऐसी प्रस्थापित स्कीम के बारे में ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उसे ऐसे उपान्तरों सहित मंजूर कर सकेगा जो वह आवश्यक या वांछनीय समझे ।

* * * * * *

खातों और निधियों का पृथक्करण।

10. (1) * * * * *

(2) जहां बीमाकर्ता जीवन बीमा कारबार करता है वहां ऐसे कारबार की बाबत शोध्य सब प्राप्तियां एक पृथक् निधि में जमा की जाएंगी जिसका नाम जीवन बीमा निधि होगा और उसकी आस्तियां बीमाकर्ता की सब अन्य आस्तियों से सुभिन्न रूप में और पृथक् रखी जाएंगी तथा बीमाकर्ता द्वारा जीवन बीमा कारबार की बाबत किए गए निक्षेप की बाबत यह समझा जाएगा कि वह ऐसी निधि की आस्तियों का भाग है तथा हर बीमाकर्ता उन विवरणों और लेखाओं के, जो धारा 11 में निदिष्ट हैं, दिए जाने विषयक धारा 15 की उपधारा (1) में परिसीमित समय के अन्दर नियन्त्रक को एक विवरण देगा जिसमें प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के समाप्त होने पर विद्यमान आस्तियों का ब्योरा होगा जो किसी लेखापरीक्षक द्वारा अथवा लेखापरीक्षा करने के लिए अर्हित व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया होगाः

परन्तु ऐसा विवरण उस बीमाकर्ता की दशा में, जिसे धारा 11 लागू होती है, उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित तुलनपत्र के भाग के रूप में होगाः

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता ऐसे विवरण में वे सब आस्तियां दिखा सकेगा जो उसके जीवन विभाग में धृत हैं किन्तु साथ ही साधारण आरक्षितियों और उस विभाग के अन्य दायित्वों के कारण की गई कटौतियां भी उससें दिखाई गई होंगीः

परन्तु यह और भी कि नियन्त्रक उन आस्तियों का वैसा ही प्रमाणित विवरण मांग सकेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को विद्यमान हों, और यह उस तारीख से तीन मास की अवधि के अन्दर दिया जाएगा जिसके सम्बन्ध में विवरण मांगा गया है ।

* * * * * *

लेखा और तुलनपत्र।

11. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार के संबंध में और उसके

2015 का 15

शेयरधारकों की निधियों के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के संबंध में एक तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, पृथक् प्राप्तियां और संदाय लेखा, आमदनी लेखा, उन विनियमों के अनुसार तैयार करेगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

* * * * * *

बीमांकिक रिपोर्ट और संक्षिप्तियां।

13. (1) जीवन बीमा कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार उसके द्वारा किए गए जीवन बीमा कारबार की वित्तीय स्थिति का जिसके अंतर्गत उससे संबंधित उसके दायित्वों का मूल्यांकन भी है किसी बीमांकक द्वारा अन्वेषण कराएगा, तथा ऐसे बीमांकक कि रिपोर्ट का सार विनियमों के अनुसार तैयार कराएगा :

परंतु प्राधिकरण किसी विशिष्ट बीमाकर्ता की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए उसे उस तारीख से जिसको पूर्ववर्ती अन्वेषण किया गया था, दो वर्ष के अपश्चात् की तारीख को अन्वेषण कराने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु यह और कि प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में तैयार की जाने वाली बीमांकक की रिपोर्ट का सार तैयार कराएगा ।

1999 का 41

(2) जब कभी लाभों के वितरण की दृष्टि से बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति का अन्वेषण किसी अन्य समय पर किया जाता है या ऐसा अन्वेषण किया जाता है जिसके परिणाम प्रकाशित कर दिए जाते हैं तब संक्षिप्ति तैयार करने के बारे में उपधारा (1) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संक्षिप्ति के साथ बीमाकर्ता के प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र उपाबद्ध होगा कि हर ऐसी पालिसी की, जिसके अधीन वास्तविक या समाश्रित दायित्व है, पूरी और शुद्ध विशिष्टियां अन्वेषण के प्रयोजन के लिए बीमांकक को दे दी गई हैं ।

(4) प्रत्येक ऐसे सार के साथ ऐसे प्ररूप और रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तैयार किया गया एक विवरण उपाबद्ध किया जाएगा :

परंतु यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट अन्वेषण किसी बीमाकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है तो विवरण प्रत्येक वर्ष उपाबद्ध करना आवश्यक नहीं होगा, किंतु प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार उसे उपाबद्ध किया जाएगा ।

* * * * * *

(6) जीवन बीमा कारबार से संबंधित इस धारा के उपबंध बीमा कारबार के किसी ऐसे उपवर्ग को भी लागू होंगे जिसे "प्रकीर्ण बीमा" वर्ग में सम्मिलित किया गया है, और प्राधिकरण विनियमों में ऐसे उपांतरणों और परिवर्तनों को, जो बीमा कारबार के किसी उपवर्ग को उनके लागू करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हों, प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि बीमा कारबार के किसी ऐसे उपवर्ग में किसी बीमाकर्ता द्वारा किए गए संव्यवहारों की संख्या और रकम इतनी कम

है कि उसका कालिक अन्वेषण और मूल्यांकन अनावश्यक है तो वह उस बीमाकर्ता को बीमा कारबार के उस उपवर्ग के संबंध में इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

पालिसियों और दावों का अभिलेख।

14. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता, उसके द्वारा किए गए सभी संव्यवहारों के संबंध में,–

(क) ऐसी पालिसियों का एक अभिलेख रखेगा, जिसमें बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित प्रत्येक पालिसी के संबंध में पालिसीधारी का नाम और पता, पालिसी कराने की तारीख और ऐसे किसी अंतरण, समनुदेशन या नामनिर्देशन का अभिलेख रखेगा, जिसकी बीमाकर्ता को सूचना है;

(ख) दावों का एक अभिलेख, जिसमें किए प्रत्येक दावे के साथ दावे की तारीख, दावाकर्ता का नाम और पता तथा वह तारीख जिसको दावा उन्मोचित किया गया था या किसी खारिज किए गए दावे की दशा में खारिज करने की तारीख और उसके आधार रखेगा; और

(ग) खंड (क) और खंड (ख) के अनुसार पालिसियों और दावों का एक अभिलेख इलैक्ट्रानिक पद्धति सहित किसी ऐसे प्ररूप में, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रखेगा ।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता, उसके द्वारा किए गए सभी कारबार के संबंध में बीमांकित राशि और प्रीमियम के निबंधनानुसार किसी विनिर्दिष्ट अवसीमा से अधिक की पालिसियां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति और प्ररूप में इलैक्ट्रानिक रूप में जारी करने का प्रयास करेगा ।

विवरणियों का दिया जाना।

15. (1) धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षित लेखे और विवरण तथा धारा 13 में निर्दिष्ट सार और विवरण मुद्रित किए जाएंगे और उनकी चार प्रतियां प्राधिकरण को उस अवधि की समाप्ति से जिससे वे संबंधित हैं, छह मास के भीतर विवरणी के रूप में दी जाएंगी ।

(2) इस प्रकार दी गई चार प्रतियों में से एक प्रति किसी कंपनी की दशा में अध्यक्ष द्वारा और कंपनी के दो निदेशकों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और यदि कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक है तो उस प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और एक प्रति, यथास्थिति, उस लेखापरीक्षक द्वारा जिसने लेखापरीक्षा की थी, या बीमांकक द्वारा, जिसने मूल्यांकन किया था, हस्ताक्षरित की जाएगी ।

* * * * * *

विवरणियों के सम्बन्ध में नियंत्रक की शक्तियां।

21. (1) यदि [1][नियंत्रक] को यह प्रतीत होता है कि उसे जो विवरणी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गई है वह किसी बात के बारे में अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण है तो वह—

* * * * * *

(घ) जिस तारीख को अशुद्धि ठीक करने या कमी दूर करने की मांग करने वाली अध्यपेक्षा बीमाकर्ता को दी गई थी उससे एक मास की समाप्ति के पूर्व या ऐसे अतिरिक्त समय की समाप्ति के पूर्व, जिसे नियंत्रक, अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट

करे, वह अशुद्धि ठीक नहीं कर दी जाती है या वह कमी दूर नहीं कर दी जाती है तो वह किसी ऐसी विवरणी को प्रतिगृहीत करने से इन्कार कर सकेगा और यदि वह कोई ऐसी विवरणी प्रतिगृहीत करने से इन्कार कर देता है तो बीमाकर्ता के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 15 या धारा 28 या धारा 28क या धारा 28ख या धारा 64फ के उन उपबन्धों का, जो विवरणी दिए जाने से संबंधित हैं, अनुपालन करने में असफल रहा है ।

* * * * * *

22. (1) * * * * *

(2) इस धारा के अधीन किए जाने वाले अन्वेषण और मूल्यांकन के संबंध में धारा 13 की उपधारा (1) और (4) के उपबन्ध लागू होंगे :

परन्तु ऐसे अन्वेषण और मूल्यांकन के परिणामस्वरूप तैयार की गई संक्षिप्ति और विवरण ऐसी तारीख तक दे दिया जाएगा जो नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे ।

* * * * * *

रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ दी गई विशिष्टियों में परिवर्तनों का रिपोर्ट किया जाना।

26. जब कभी ऐसा कोई परिवर्तन हो जाता है या किया जाता है जिससे उन बातों में से किसी पर प्रभाव पड़ता है जिनकी बाबत धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन यह अपेक्षित है कि वे रजिस्ट्रीकरण के लिए बीमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाए तो बीमाकर्ता ऐसे परिवर्तन की पूरी विशिष्टियां नियंत्रक को तुरन्त देगा । ऐसी सब विशिष्टियां ऐसी रीति से अधिप्रमाणीकृत की जाएंगी जो उस उपधारा में निर्दिष्ट बातों के अधिप्रमाणीकरण के लिए अपेक्षित है और जहां उस परिवर्तन से उन बीमाकृत दरों, सहूलियतों, निबन्धनों और शर्तों पर, जो जीवन बीमा पालिसी के संबंध में प्रस्थापित की गई हों, प्रभाव पड़ता है, वहां उस परिवर्तन की विशिष्टियों के साथ उक्त उपधारा के खण्ड (च) में निर्दिष्ट बीमांकिक प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

विनिधान, उधार और प्रबन्ध

आस्तियों का विनिधान।

27. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता—

(क) परिपक्व दावों की बाबत भारत में जीवन बीमा पालिसियों के धारकों के प्रति अपने दायित्वों की रकम के; और

(ख) भारत में अदायगी के लिए परिपक्व हो रही जीवन बीमा की पालिसियों के अधीन दायित्वों को चुकाने के लिए अपेक्षित रकम के,

योग से अन्यून राशि के बराबर आस्तियां उनमें से निम्नलिखित घटाकर—

(i) उन प्रीमियमों की रकम, जो ऐसी पालिसियों के संबंध में बीमाकर्ता को शोध्य हो चुके हैं किन्तु जिनका संदाय नहीं किया गया है और जिनके संदाय के अनुग्रह दिवस समाप्त नहीं हुए हैं, और

(ii) उन उधारों के लिए बीमाकर्ता को शोध्य कोई रकम, जो भारत में भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली उन जीवन बीमा पालिसियों के अभ्यर्पण मूल्य पर और उसके भीतर अनुदत्त किए गए हैं जो उसके द्वारा या ऐसे बीमाकर्ता द्वारा

निर्गमित हैं, जिसका कारबार उसने अर्जित कर लिया है और जिसके संबंध में, उसने दायित्व ग्रहण कर लिया है, निम्नलिखित रीति में विनिहित करेगा और सदैव विनिहित रखेगा, अर्थात्:–

(क) उक्त राशि का पच्चीस प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में, उक्त राशि के पच्चीस प्रतिशत से अन्यून रकम के बराबर अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में; और

(ख) अतिशेष किन्हीं अनुमोदित विनिधानों में से किसी में,

जो उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की दशा में, आस्तियों का बीस प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में, आस्तियों के दस प्रतिशत से अन्यून के बराबर अतिरिक्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में तथा अतिशेष किसी अन्य ऐसे विनिधान में जो प्राधिकरण के विनियमों के अनुसरण में और ऐसी सीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो इस बाबत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में, "आस्तियों" पद से उनकी चालू कीमत पर बीमाकर्ता की सभी आस्तियां अभिप्रेत हैं, किन्तु इनमें ऐसी किसी निधि या उसके भाग जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसका भाग भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा विनियमित होता है या प्रकीर्ण व्यय जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा, के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से धारित कोई आस्ति सम्मिलित नहीं है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कोई विनिर्दिष्ट आस्तियां, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधानों में विनिहित आस्तियां या विनिहित रखी गई आस्तियां समझी जाएंगी ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियों की संगणना करने में, भारतीय रुपए से भिन्न किसी करेंसी के प्रति निर्देश से किए गए किसी विनिधान को, जो उस करेंसी के प्रति निर्देश से भारत में बीमाकर्ताओं के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रूप से अधिक है, ऐसे आधिक्य की सीमा तक हिसाब में नहीं लिया जाएगाः

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उपधारा (2) के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगीः

परन्तु यह और कि प्राधिकरण या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट मामले में यह निदेश दे सकेगा कि कोई विनिधान ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अधिरोपित की जाएं, ऐसी रीति से हिसाब में, लिया जाएगा जो उपधारा (1) और उपधारा (2) में

निर्दिष्ट आस्तियों की संगणना में विनिर्दिष्ट की जाएं और जहां कोई निदेश इस परन्तुक के अधीन जारी किया गया है वहां उसकी प्रतियां उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी ।

(5) जहां किसी बीमाकर्ता ने किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा निर्गमित और भारत में अदायगी के लिए परिपक्व होने वाली किन्हीं जीवन बीमा पालिसियों की बाबत पुनर्बीमा प्रतिगृहीत किया है या उसने स्वयं के द्वारा निर्गमित किन्हीं ऐसी पालिसियों के संबंध में अन्य बीमाकर्ता को पुनर्बीमा अभ्यर्पित किया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि में ऐसे प्रतिग्रहण में अंतर्वलित दायित्व की रकम जोड़ दी जाएगी और ऐसे अभ्यर्पण में अंतर्वलित दायित्व की रकम उसमें से घटा दी जाएगी ।

(6) वे सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, जिनमें उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आस्तियां विनिहित की जानी हैं और विनिहित रखी जानी हैं, बीमाकर्ता द्वारा किसी विल्लंगम, प्रभार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त रूप में धारित की जाएंगी ।

(7) वे आस्तियां जिनकी बाबत इस धारा के अनुसार यह अपेक्षित है कि वे भारत के बाहर निगमित या अधिवसित बीमाकर्ता द्वारा विनिहित रखी जाएं उनके उस भाग तक की सीमा के सिवाय, जो भारत के बाहर विदेशी आस्तियों के रूप में धृत हैं, भारत में धृत रखी जाएंगी और सभी ऐसी आस्तियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के दायित्वों के उन्मोचन के लिए न्यास के रूप में धृत रखी जाएंगी और भारत में निवासी तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न्यासियों में विनिहित होंगी, और इस उपधारा के अधीन न्यास लिखत प्राधिकरण के अनुमोदन से बीमाकर्ता द्वारा निष्पादित की जाएगी और उसमें उस रीति का उल्लेख किया जाएगा जिससे केवल न्यास की विषय-वस्तु बरती जाएगी ।

* * * * * *

विनिधानों के संबंध में अतिरिक्त उपबंध।

27क. (1) जीवन बीमा कारबार करने वाला कोई बीमाकर्ता उसके द्वारा नियंत्रित निधि के किसी भाग को और साधारण कारबार करने वाला कोई बीमाकर्ता अपनी आस्तियों को ऐसे अनुमोदित विनिधानों से भिन्न किसी विनिधान में, न तो विनिहित करेगा और न ही विनिहित रखेगा, जो उसमें ऐसी परिसीमाओं, शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) धारा 27 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता, ठीक आगामी उपधाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा नियंत्रित निधि या आस्तियों के किसी भाग को, किसी अनुमोदित विनिधान से भिन्न विनिधानों में विनिहित कर सकेगा या विनिहित रख सकेगा, यदि—

(i) ऐसे विनिधान के पश्चात् बीमाकर्ता के ऐसे सभी विनिधानों की कुल रकम, यथास्थिति, धारा 27 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि के पन्द्रह प्रतिशत या उसकी उपधारा (2) में निर्दिष्ट आस्तियों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(ii) वह विनिधान उन सब निदेशकों की सहमति से किया गया है या पहले से किए गए किसी विनिधान की दशा में वह विनिधान अधिवेशन में उपस्थित और

मतदान के लिए पात्र सभी निदेशकों की सहमति से चालू रखा गया है जिसकी विशेष सूचना भारत में उस समय विद्यमान सब निदेशकों को दी गई हो और सभी ऐसे विनिधानों सहित, जिनसे कोई निदेशक हितबद्ध हो ऐसे सभी विनिधानों की रिपोर्ट ऐसे सब विनिधानों के सम्पूर्ण ब्यौरों सहित और किसी ऐसे विनिधान में निदेशक के हित की सीमा तक प्राधिकरण को अविलंब दे दी गई हो ।

(3) कोई भी बीमाकर्ता धारा 27 में यथा निर्दिष्ट अपनी नियंत्रित निधि या आस्तियों में से, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिशतता से अधिक कोई रकम–

(क) किसी एक बैंककारी कंपनी के शेयरों में विनिहित नहीं करेगा, या

(ख) किसी एक कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में विनिहित नहीं करेगा ।

(4) कोई बीमाकर्ता धारा 27 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट उसके द्वारा नियंत्रित निधि या आस्तियों में से किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में न तो कोई रकम विनिहित करेगा और न ही विनिहित रखेगा ।

(5) धारा 27 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट नियंत्रित निधि या आस्तियों के भागरूप वे सभी आस्तियां, जो सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं हैं जिनमें आस्तियां इस धारा के अनुसार विनिहित की जानी हैं या विनिहित रखी जानी हैं [उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट नियंत्रित निधि या आस्तियों के मूल्य के एक-बटा दस से अनधिक भाग के सिवाय, जो ऐसी शर्तों और निबंधनों के रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी विनिधान के प्रयोजनों के लिए, लिए गए किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में दिया जा सकता है] किसी विल्लंगम, भार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त धारण की जाएंगी ।

(6) यदि किसी समय, प्राधिकरण बीमाकर्ता के किसी एक या एक से अधिक विनिधानों को अनुपयुक्त या अवांछित समझता है, तो प्राधिकरण, बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे विनिधान या विनिधानों की रकम वसूल करने का निदेश दे सकेगा और वह बीमाकर्ता ऐसे समय के भीतर, जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(7) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी किसी रीति पर प्रभाव डालती है जिससे किसी कर्मचारी की भविष्य निधि या किसी कर्मचारी से ली गई किसी प्रतिभूति से संबंधित धनराशियां या उसी प्रकृति की कोई अन्य धनराशियां किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन धारित की जानी अपेक्षित हैं ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में "नियंत्रित निधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की दशा में,—

(i) उसकी सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार नहीं करता है;

(ii) उसके जीवन बीमा कारबार से संबंधित भारत में की सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार भी करता है ।

स्पष्टीकरण—उपखंड (i) और उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, निधि के

अंतर्गत ऐसी कोई निधि या उसका भाग नहीं है, जिसकी बाबत प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसके भाग को भारत के बाहर किसी देश की प्रवृत्त विधि द्वारा विनियमित किया जाता है या इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा;

(ख) जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी अन्य बीमाकर्ता की दशा में,—

(i) भारत में उसकी सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग का बीमा कारबार नहीं करता है;

(ii) उसके जीवन बीमा कारबार से संबंधित भारत में सभी निधियां, यदि वह किसी अन्य वर्ग के बीमा कारबार भी करता है;

किंतु इसमें कोई निधि या उसका भाग सम्मिलित नहीं है जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है, कि, यथास्थिति, ऐसी निधि या उसका भाग भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा विनियमित किया जाता है या जिसके संबंध में प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि इस धारा के उपबंधों को लागू करना बीमाकर्ता के हित में नहीं होगा ।

साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता की आस्तियों के विनिधानों के संबंध में उपबंध।

27ख. (1) साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता की सभी आस्तियों को, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, धारा 27 में विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधानों में विनिहित की गई या विनिहित रखी गई आस्तियां समझा जाएगा ।

(2) सभी आस्तियां (उनमें से उनके उस भाग के सिवाय जो मूल्यों में कुल आस्तियों के एक-बटा दस से अधिक नहीं है और जो ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी विनिधान या दावों के चुकाने के प्रयोजन के लिए दिए गए किसी उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है या जो पालिसियों के प्रतिग्रहण के लिए बैंकों के पास प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखा जाए) किसी भी विल्लंगम, भार, आडमान या धारणाधिकार से मुक्त धारण की जाएंगी ।

(3) धारा 27क की उपधारा (5) द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह बीमाकर्ता से यह अपेक्षा करती है कि वह बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के प्रारंभ के पश्चात् धारा 27 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुरूप किए गए किसी विनिधान की वसूली करे, जो ऐसा विनिधान किए जाने के पश्चात् इस धारा के अर्थान्तर्गत कोई अनुमोदित विनिधान नहीं रह गया है ।

1968 का 62

कतिपय मामलों में बीमाकर्ता द्वारा विनिधान।

27ग. कोई बीमाकर्ता, धारा 27 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपनी नियंत्रित निधि या आस्तियों के कुल पांच प्रतिशत से अनधिक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, संप्रवर्तकों की कंपनियों में विनिहित कर सकेगा ।

विनिधान की रीति और शर्तें।

27घ. (1) इस धारा की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, पालिसीधारकों के हित में, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा धारण की जाने वाली आस्तियों के विनिधान का समय, रीति और अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, ऐसे समय, रीति और अन्य शर्तों के संबंध में विनिर्दिष्ट निदेश दे सकेगा, जिनके अधीन रहते हुए, पालिसीधारियों की निधियां, ऐसे अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं विनिहित की जाएंगी और ऐसे विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, भारत में जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा कारबार करने वाले सभी बीमाकर्ताओं को एक समान रूप से लागू होंगे ।

(3) प्राधिकरण, कारबार की प्रकृति को ध्यान में रखने के पश्चात् और पालिसीधारियों के हितों के संरक्षण के लिए किसी बीमाकर्ता को उसके द्वारा धारित की जाने वाली आस्तियों के विनिधान के समय, रीति और अन्य शर्तों के संबंध में निदेश जारी कर सकेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित बीमाकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

* * * * * *

धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग, धारा 27घ या धारा 29 के उल्लंघनों के कारण हुई हानि के लिए निदेशकों, आदि का दायित्व।

30. यदि बीमाकर्ता को या पालिसीधारियों को धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग, धारा 27घ या धारा 29 के उपबंधों में से किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण कोई हानि उठानी पड़ती है तो ऐसा प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी, जिसने जानबूझकर ऐसे उल्लंघन में भाग लिया है, ऐसी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है, ऐसी हानि की रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होगा ।

बीमाकर्ता की आस्तियों को किस प्रकार रखा जाएगा।

31. (1) किसी बीमाकर्ता की भारत में की आस्तियों में से कोई भी आस्ति, वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसी आस्तियां धारा 27 की उपधारा (7) के अधीन न्यासियों में निहित की जानी अपेक्षित हैं, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लोक अधिकारी के नाम में या उपक्रम के निगमित नाम में यदि, वह, यथास्थिति, कंपनी या बीमा सहकारी सोसाइटी है, रखे जाने से अन्यथा नहीं रखी जाएगी ।

* * * * * *

प्रबंधकों आदि से सम्बन्धित उपबन्।

31क. इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 में या यदि बीमाकर्ता कम्पनी है तो उसके संगम अनुच्छेदों में या किसी संविदा या करार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1950 के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी बीमाकर्ता का— 1913 का 7 1950 का 47

(क) प्रबंध किसी कम्पनी या फर्म द्वारा न किया जाएगा, या

(ख) निदेशन या प्रबंध ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा जिसका पारिश्रमिक या उसका कोई भाग बीमाकर्ता के जीवन बीमा कारबार विषयक कमीशन के या बोनस के या मूल्यांकन अधिशेष में हिस्से के रूप में है, और न

उपर्युक्त जैसे व्यक्ति को ऐसे बीमाकर्ता द्वारा प्रबन्धक या अधिकारी के रूप में या किसी भी हैसियत में नियोजित किया जाएगा; या

(ग) निदेशन या प्रबन्ध ऐसे किसी द्वारा नहीं किया जाएगा जिसका पारिश्रमिक या उसका कोई भाग बीमाकर्ता के साधारण बीमा कारबार विषयक कमीशन या बोनस के रूप में है, और न उपर्युक्त जैसा कोई व्यक्ति ऐसे बीमाकर्ता द्वारा प्रबन्धक या अधिकारी के रूप में या किसी भी हैसियत में नियोजित किया जाएगाः

* * * * * *

सम्मिलित अधिकारियों का प्रतिषेध तथा पूर्णकालिक अधिकारियों सम्बन्धी अपेक्षा।

32क. (1) बीमाकर्ता का, जो जीवन बीमा कारबार कर रहा है, प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी किसी अन्य बीमाकर्ता का, जो जीवन बीमा कारबार कर रहा है अथवा किसी बैंककारी कम्पनी का अथवा किसी विनिधान कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी न होगाः

परन्तु प्राधिकरण ऐसे प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी को दो बीमाकर्ताओं के कारबार का समामेलन करने के अथवा एक बीमाकर्ता का कारबार दूसरे को अन्तरित करने के प्रयोजन से जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी अन्य बीमाकर्ता का प्रबन्ध निदेशक या अन्य अधिकारी होने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

* * * * * *

ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर में बीमा कारबार।

32ख. प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ के पश्चात्, ग्रामीण और सामाजिक सेक्टरों में उतना प्रतिशत जीवन बीमा कारबार और साधारण बीमा कारबार करेगा जितना प्राधिकरण द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

1999 का 41

ग्रामीण या असंगठित सेक्टर और पिछड़े वर्गों के संबंध में बीमाकर्ता की बाध्यताएं।

32ग. प्रत्येक बीमाकर्ता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को जो ग्रामीण सेक्टर में निवास कर रहे हैं, असंगठित या अनियमित सेक्टर के कर्मकारों अथवा समाज के आर्थिक रूप से असुरक्षित या पिछड़े वर्गों के और ऐसे अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जीवन बीमा या साधारण बीमा पालिसियां उपलब्ध कराने के लिए धारा 32ख के अधीन बाध्यताओं का निर्वहन करेगा और ऐसी पालिसियों के अन्तर्गत फसल के लिए बीमा भी होगा ।]

1999 का 41

* * * * * *

प्राधिकरण द्वारा अन्वेषण और निरीक्षण की शक्ति।

33. (1) * * * * *

(6) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्राधिकरण, यथास्थिति, बीमाकर्ता या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को रिपोर्ट के संबंध में अभ्यावेदन करने का ऐसा अवसर दिए जाने के पश्चात् जो प्राधिकरण की राय में युक्तियुक्त प्रतीत हो, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) बीमाकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि रिपोर्ट से उद्भूत किसी विषय

के बारे में वह ऐसी कार्रवाई करे, जो प्राधिकरण ठीक समझे; या

* * * * * *

कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति

कर्मचारिवृन्द नियुक्त करने की शक्ति।

33क. प्राधिकरण बीमाकर्ताओं द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई विवरणियों, विवरण और जानकारी की संवीक्षा करने के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन नियन्त्रक के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कर्मचारिवृन्द जिन्हें और ऐसे स्थानों पर जहां वह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

निदेश देने की शक्ति

निदेश देने की नियन्त्रक की शक्ति।

34. (1) जहां नियन्त्रक का समाधान हो गया है कि—

(क) लोकहित में; या

(ख) किसी बीमाकर्ता के कार्यकलाप ऐसी रीति में संचालित किए जाने के निवारण के लिए जो पालिसीधारियों के हित के लिए अपायकर है अथवा बीमाकर्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है; या

(ग) साधारणतः किसी बीमाकर्ता का समुचित प्रबन्ध करने के लिए,

यह आवश्यक है कि बीमाकर्ताओं को साधारणतः या किसी बीमाकर्ता को विशिष्टतः निदेश दिए जाएं, वहां वह समय-समय पर, ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और बीमाकर्ता ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए, यथास्थिति, आबद्ध होगा या होंगेः

परन्तु ऐसा कोई निदेश किसी विशिष्ट बीमाकर्ता को तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे बीमाकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

* * * * * *

प्रबन्ध पर नियंत्रण

प्रबन्ध निदेशकों आदि की नियुक्ति सम्बन्धी उपबन्धों के संशोधन के लिए नियंत्रक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होना।

34क. (1) * * * * *

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 268 और 269, धारा 309 की उपधारा (3) के परन्तुक, धारा 310 और 311, धारा 387 के परन्तुक तथा धारा 388 (जहां तक कि वह धारा 310 और 311 के उपबन्ध कम्पनी के प्रबन्धक के सम्बन्ध में लागू करती है), की कोई बात ऐसे किसी विषय को लागू नहीं होगी जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाना है । 1956 का 1

* * * * * *

तलाशी और अभिग्रहण।

34ज. (1) जहां अपनी जानकारी के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि–

(क) जिस व्यक्ति से धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि वह अपनी अभिरक्षा या शक्ति में की कोई बहियां, लेखे या अन्य दस्तावेजें

पेश करे या कराए, उसने ऐसी बहियां, लेखे या अन्य दस्तावेजें पेश नहीं की या कराई हैं अथवा वह उन्हें पेश करने या कराने में असफल रहा है; या

(ख) जिस व्यक्ति से उपर्युक्त जैसी बहियों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को पेश करने की अध्यपेक्षा की गई है या की जा सकती है वह ऐसी बहियों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को, जो धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण करने के लिए या उस धारा की उपधारा (1क) के अधीन निरीक्षण करने के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, पेश नहीं करेगा या कराएगा; या

(ग) बीमाकर्ता द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जाना संभाव्य है; या

* * * * * *

(च) बीमाकर्ता द्वारा कोई अवैध रिबेट या कमीशन दिया गया है या दिया जाना सम्भाव्य है; या

(छ) यह सम्भाव्य है कि बीमाकर्ता की कोई बहियां, लेखे, रसीदें, वाउचर, सर्वेक्षण रिपोर्टें या अन्य दस्तावेजें बिगाड़ दी जाएं, मिथ्याकृत कर दी जाएं या गढ़ ली जाएं,

वहां वह उपनिदेशक या कोई समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) प्राधिकृत कर सकेगा कि वह–

(i) ऐसे किसी भवन या स्थान में प्रवेश करे और उसकी तलाशी ले जिसके बारे में उसके पास यह सन्देह करने का कारण है कि वहां ऐसी बहियां, लेखे या अन्य दस्तावेजें अथवा किसी दावे, रिबेट या कमीशन से सम्बन्धित कोई बहियां या कागज-पत्र अथवा कोई रसीदें, वाउचर, रिपोर्टें या अन्य दस्तावेजें रखी हैं;

(ii) यदि उसकी तालियां उपलब्ध नहीं हैं तो, खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाजे, बक्से, लाकर, तिजौरी, अल्मारी या अन्य पात्र के ताले को तोड़ दे;

(iii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई ऐसी सब या किन्हीं बहियों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को अभिगृहीत कर ले;

(iv) ऐसी बहियों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगा दे अथवा उनके उद्धरण या उनकी प्रतियां तैयार कर ले या करा ले ।

* * * * * *

बीमा कारबार का समामेलन और अंतरण

बीमा कारबार का समामेलन और अंतरण।

35. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, बीमाकर्ता का कोई भी बीमा कारबार इस धारा के अधीन तैयार की गई और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की गई स्कीम के अनुसार ही किसी अन्य बीमाकर्ता के बीमा कारबार को अन्तरित या उसमें समामेलित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

* * * * * *

(3) ऐसी किसी स्कीम का अनुमोदन करने के लिए नियंत्रक को आवेदन करने से पूर्व आवेदन करने के आशय की सूचना, यथास्थिति, ऐसे समामेलन या अंतरण के स्वरूप के विवरण तथा उसके लिए कारण सहित नियंत्रक को आवेदन किए जाने के कम से कम दो मास पूर्व भेजी जाएगी तथा निम्नलिखित दस्तावेजों में से हर एक की चार प्रमाणित प्रतियां नियंत्रक को दी जाएंगी तथा ऐसी अन्य प्रतियां सम्पृक्त बीमाकर्ताओं के प्रधान और शाखा कार्यालयों में तथा उनके मुख्य अभिकरणों में सदस्यों और पालिसीधारियों के निरीक्षण के लिए पूर्वोक्त दो मास के दौरान खुली रखी जाएंगी, अर्थात्:–

* * * * * *

(ख) ऐसे समामेलन या अन्तरण से संबंध रखने वाले बीमाकर्ताओं में से हर एक के बीमा कारबार की बाबत तुलन-पत्र ऐसे प्ररूपों में तैयार किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) इस प्रकार संबंध रखने वाले बीमाकर्ताओं में से हर एक के जीवन बीमा कारबार की बाबत बीमांकक रिपोर्ट और संक्षिप्तियां इस संबंध में विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुरूप तैयार की जाएंगी;

* * * * * *

(ङ) कोई अन्य रिपोर्टें जिन पर समामेलन या अंतरण की स्कीम आधारित हो,

* * * * * *

परन्तु यदि नियंत्रक किसी विशिष्ट बीमाकर्ता की दशा में ऐसा निदेश देता है तो खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में निर्दिष्ट तुलनपत्र, रिपोर्ट और संक्षिप्ति के बदले में, जो इस उपधारा के अनुसार तैयार की गई है, इस अधिनियम की धारा 11 और 13 के अनुसार अथवा इण्डियन लाइफ अश्योरेंस कम्पनीज़ ऐक्ट, 1912 की धारा 7 और धारा 8 के अनुसार तैयार किए गए अंतिम तुनलपत्र तथा अंतिम रिपोर्ट और संक्षिप्ति की प्रमाणित प्रतियां क्रमशः दी जा सकेंगी यदि वह तुलनपत्र उस तारीख तक की स्थिति के संबंध में, जो उस तारीख से बाहर मास से अधिक पूर्व की नहीं है तथा वह रिपोर्ट और संक्षिप्ति उस तारीख की स्थिति के संबंध में, जो उस तारीख से पांच वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं है, तैयार की गई हो जिस तारीख को नियंत्रक से इस धारा के अधीन आवेदन किया गया है ।

1912 का 6

* * * * * *

समामेलन और अंतरण के पश्चात् अपेक्षित विवरण।

37. जहां कोई दो या अधिक बीमाकर्ता समामेलित होते हैं अथवा बीमाकर्ता का कोई कारबार नियंत्रक द्वारा पुष्ट की गई स्कीम के अनुसार या अन्यथा अंतरित होता है, वहां, यथास्थिति, समामेलित कारबार करने वाला बीमाकर्ता अथवा वह व्यक्ति, जिसे वह कारबार अंतरित किया गया है, समामेलन या अंतरण के पूर्ण होने की तारीख से तीन मास से अन्दर नियंत्रक को निम्नलिखित देगा—

* * * * * *

(ग) जहां समामेलन या अंतरण धारा 36 के अधीन नियंत्रक द्वारा अनुमोदन की गई स्कीम] के अनुसार नहीं किया गया है, वहां—

(i) ऐसे समामेलन या अंतरण से संबद्ध बीमाकर्ताओं में से प्रत्येक के बीमा कारबार की बाबत तुलनपत्रों की दो-दो प्रतियां, जो प्रथम अनुसूची के भाग 2 में दिए गए प्ररूप में और उस अनुसूची के भाग 1 में दिए गए विनियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं; और

* * * * * *

37क. (1) * * * * * समामेलन की स्कीम तैयार करने की नियंत्रक की शक्ति।

(2) पूर्वोक्त स्कीम में निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्—

* * * * * *

परन्तु यह और कि यदि किसी मामले में इस बारे में कोई शंका या मतभेद उत्पन्न होता है कि उक्त कर्मचारियों में से किसी की अर्हता और अनुभव वही है या नहीं या उसी के बराबर है या नहीं जो अंतरिती बीमाकर्ता के तत्समान पंक्ति या प्रास्थिति वाले अन्य कर्मचारियों का है तो वह शंका या मतभेद नियंत्रक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा;

* * * * * *

40ख. कोई भी बीमाकर्ता, भारत में उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार की बाबत, किसी वित्तीय वर्ष में उस रकम से अधिक रकम, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रबंध व्ययों के रूप में खर्च नहीं करेगा । जीवन बीमा कारबार में प्रबंध व्ययों की परिसीमा।

40ग. भारत में बीमा कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता प्राधिकरण को प्रबंध व्ययों का ब्यौरा ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में देगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । साधारण, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा कारबार में प्रबंध व्ययों की परिसीमा।

41. (1) कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या सम्पत्ति से संबंधित किसी प्रकार की जोखिम की बाबत बीमा करने या बीमा नवीकृत करने या बीमा चालू रखने के लिए उत्प्रेरणा के रूप में प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी भी व्यक्ति को उस पूरे कमीशन की जो पालिसी पर देय है या उसके किसी भाग की कोई रिबेट अथवा पालिसी पर दिखाए गए प्रीमियम की ऐसी रिबेट के सिवाय न तो देगा और न देने का प्रस्ताव ही करेगा और न पालिसी लेने वाला या नवीकृत करने वाला या चालू रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी रिबेट ऐसी रिबेट के सिवाय प्रतिगृहीत करेगा जो बीमाकर्ता की प्रकाशित विवरण पत्रिकाओं या सारणियों के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकता हैः रिबेट विषयक प्रतिषेध।

परन्तु बीमा अभिकर्ता द्वारा अपने ही जीवन पर ली गई जीवन बीमा पालिसी के संबंध में किसी कमीशन के प्रतिग्रहण की बाबत यह बात कि वह इस उपधारा के अर्थ के अन्दर प्रीमियम के रिबेट का प्रतिग्रहण है, उस दशा में न समझी जाएगी जिसमें कि ऐसे

प्रतिग्रहण के समय बीमा अभिकर्ता विहित शर्तों की पूर्ति करते हुए यह सिद्ध कर देता है कि वह बीमाकर्ता द्वारा नियोजित वास्तविक बीमा अभिकर्ता है ।

* * * * * *

मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को रजिस्ट्रीकरण जारी करना।

42घ. (1) * * * * *

(2) इस धारा के अधीन दी गई रजिस्ट्रीकरण का धारक मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने का हकदार हो जाएगा ।

(3) इस धारा के अधीन किए गए रजिस्ट्रीकरण उसके दिए जाने की तारीख से केवल तीन वर्ष की अवधि तक ही प्रवृत्त रहेगी किन्तु, यदि आवेदक, व्यष्टि है, तो वह आवेदक अथवा आवेदक कंपनी या फर्म है तो, उसके निदेशकों या भागीदारों अथवा उनके द्वारा इस प्रकार पदाभिहित उनके एक या अधिक अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों और किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, मुख्य कार्यपालक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, या उसके द्वारा पदाभिहित उसके एक या अधिक कर्मचारियों में से कोई धारा 42 की उपधारा (3) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (छ)] में उल्लिखित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त नहीं है और अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन निर्गमन प्राधिकारी के पास उस तारीख से, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त नहीं रह जाता, कम से कम तीस दिन पूर्व पहुंच गया है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित फीस का संदाय करने पर और यदि रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन निर्गमन प्राधिकारी के पास उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण प्रवृत्त नहीं रह गया है, कम से कम तीस दिन पूर्व नहीं पहुंचता है तो शास्ति के रूप में विनियमों द्वारा अवधारित अतिरिक्त फीस का, जो सौ रुपए से अधिक नहीं होगी, संदाय करने पर एक बार में तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए कोई भी आवेदन उस दशा में ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब कि वह, आवेदन, निर्गमन प्राधिकारी के पास उस अनुज्ञप्ति के प्रवृत्त न रह जाने के पूर्व नहीं पहुंच जाताः

परन्तु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो गया है कि अन्यथा असम्यक् कठिनाई होगी तो वह इस उपधारा के उल्लंघन में किसी आवेदन को आवेदक द्वारा सात सौ पचास रुपए की शास्ति का संदाय किए जाने पर स्वीकार कर सकेगा ।

* * * * * *

(6) यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती पूर्वगामी निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है तो ऐसी किसी अन्य शास्ति पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए वह दायी हो, प्राधिकरण, इस धारा के अधीन मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती रजिस्ट्रीकरण को दिया गया रद्द कर देगा और उस दशा में भी रद्द कर सकेगा जबकि मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती ने जानते हुए इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है ।

(7) प्राधिकरण खो गई, नष्ट हो गई या विकृत हो गई अनुज्ञप्ति के बदले में

उसकी दूसरी प्रति ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, दे सकेगा ।

(8) ऐसा कोई व्यक्ति, जो मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत हुए बिना उस रूप में कार्य करता है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी और ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति को, जो उस रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं है, नियुक्त करता है या ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से भारत में कोई बीमा कारबार करता है, वह, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए तक की हो सकेगी ।

(9) जहां उपधारा (8) का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी या फर्म है, वहां ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर, जो कंपनी या फर्म के विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कंपनी का ऐसा प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी और फर्म का ऐसा प्रत्येक भागीदार, जो जानबूझकर ऐसे उल्लंघन का भागी बना है, ऐसी शास्ति का, जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

* * * * * *

न्यायालय में धन का संदाय किया जाना।

47. (1) यदि संदाय के लिए परिपक्व हुई किसी जीवन बीमा पालिसी की बाबत बीमाकर्ता की यह राय है कि परस्पर विरोधी दावों के कारण या उस पालिसी द्वारा प्रतिभूत रकम पर हक सम्बन्धी सबूत की अपर्याप्तता के कारण या अन्यथा किसी अन्य पर्याप्त कारण से बीमाकर्ता के लिए यह असम्भव है कि ऐसी रकम के संदाय के लिए उसे समाधानप्रद उन्मोचन अभिप्राप्त हो जाए, तो बीमाकर्ता उस न्यायालय में ऐसी रकम का संदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में वह स्थान स्थित है जहां पर पालिसी के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा ऐसी रकम देय है ।

* * * * * *

निदेशकों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उपबन्ध।

48ख. (1) धारा 2 के खण्ड (9) के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट और जीवन बीमा कारबार करने वाला बीमाकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को अपना निदेशक न रखेगा जो ऐसे ही किसी अन्य बीमाकर्ता का भी निदेशक हो ।

* * * * * *

लाभांशों और बोनसों पर निर्बन्धन।

49. (1) जो जीवन बीमा कारबार अथवा किसी ऐसे अन्य वर्ग या उपवर्ग का बीमा कारबार करता है जिसे धारा 13 लागू है, शेयरधारियों को कोई लाभांश या पालिसीधारियों को कोई बोनस घोषित करने या देने के प्रयोजन के लिए या किन्हीं डिबेंचरों को चुकाए जाने के लिए कोई संदाय करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षतः या परोक्षतः, यथास्थिति, जीवन बीमा निधि का अथवा ऐसे अन्य वर्ग या उपवर्ग के बीमा कारबार की निधि के किसी भाग का उपयोग उस अधिशेष में से करने के सिवाय न करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियामकों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में उस मूल्यांकन तुलनपत्र में दिखाया गया है जो धारा 15 में निर्दिष्ट संक्षिप्ति के भाग के रूप में नियंत्रक को बीमाकर्ता की आस्तियों और दायित्वों के बीमांकिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप दिया

गया है, और न ऐसे अधिशेष में कोई वृद्धि किसी आरक्षित निधि में से या अन्यथा अभिदाय द्वारा तब तक करेगा जब तक कि ऐसे अभिदाय उस वर्ग या उपवर्ग के बीमा कारबार के लिए उपयोज्य आमदनी खाते के रूप में पूर्वोक्त मूल्यांकन की तारीख को या उससे पूर्व सम्मिलित न कर लिए गए हों, किन्तु उस दशा में वह ऐसा कर सकेगा जबकि वह आरक्षित निधि उन मूल्यांकनों द्वारा प्रकट तत्सदृश्य अधिशेषों के अन्तरण से ही मिलकर बनी हो जिन मूल्यांकनों की बाबत ऐसी विवरणियां इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियंत्रक को दे दी गई हों:

परन्तु डिबेंचरों पर ब्याज के रूप में किए गए किन्हीं संदायों सहित वे संदाय जो किन्हीं डिबेंचरों को चुकाने के लिए ऐसे अधिशेष में से किए गए हैं, ऐसे अधिशेष के पचास प्रतिशत से अधिक न होंगे और डिबेंचरों पर दिया गया ब्याज ऐसे अधिशेष के दस प्रतिशत से तब के सिवाय अधिक न होगा जबकि डिबेंचरों पर दिया गया ब्याज उस ब्याज के मद्धे मुजरा किया गया हो जो पूर्वोक्त अधिशेष को प्रकट करने वाले मूल्यांकन में अपनाए गए ब्याज का आधार विनिश्चित करने के लिए संपृक्त निधि या निधियों में जमा किया गया हैः

परंतु यह और कि (शेयरधारकों के प्रथम भार के रूप में या अन्यथा, गारंटीकृत लाभांशों के संदाय के लिए रकम सहित) किसी अधिशेष का भाग जो शेयरधारकों को आबंटित किया गया है या उनके लिए आरक्षित रखा गया है ऐसी राशियों से अधिक नहीं होगा जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसा भाग, किसी भी दशा में, भागीदारी पालिसियों की दशा में, ऐसे अधिशेष के दस प्रतिशत और अन्य दशाओं में में उसके संपूर्ण भाग से अधिक नहीं होगा ।

* * * * * *

प्रस्थापनाओं और स्वास्थ्य रिपोर्टों की प्रतियों का दिया जाना।

51. प्रत्येक बीमाकर्ता पालिसीधारी को उसकी बीमा प्रस्थापना में और उसके संबंध में दी गई स्वास्थ्य रिपोर्ट में उन प्रश्नों की, जो उससे किए गए हैं, और उन उत्तरों की जो उसने दिए हैं, प्रमाणित प्रतियां पालिसीधारी द्वारा किए गए आवेदन पर और अधिक से अधिक एक रुपए की फीस का संदाय किए जाने पर देगा ।

* * * * * *

बीमा कारबार के प्रबंध के लिए प्रशासक कब नियुक्त किया जा सकेगा।

52क. (1) यदि किसी समय प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जीवन बीमा कारबार करने वाला बीमाकर्ता ऐसी रीति से कार्य कर रहा है जिससे जीवन बीमा पालिसी के धारकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है तो वह बीमाकर्ता को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पश्चात् प्राधिकरण के निदेशन और नियंत्रण के अधीन बीमाकर्ता के कार्यों का प्रबंध करने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगा ।

* * * * * *

दायित्वों का मूल्यांकन।

55. (1) * * * * *

(3) सातवीं अनुसूची के नियम का वही बल होगा और वह ऐसे निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किया जा सकेगा मानो वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 1956 का 1

643 के अनुसरण में बनाया गया नियम हो तथा बीमा कम्पनियों के परिसमापन की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशाली करने के प्रयोजन से उस धारा के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे ।

* * * * * *

भारत के बाहर स्थापित बीमाकर्ताओं द्वारा रखी जाने वाली बहियां।

64. भारत के बाहर अपने कारबार का मुख्य स्थान या अधिवास रखने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता भारत में अपने प्रधान कार्यालय में ऐसी लेखा बहियां, रजिस्टर और दस्तावेजें रखेगा जिनसे वे लेखे, विवरण और संक्षिप्तियां, जिनकी बाबत इस अधिनियम के अधीन उससे यह अपेक्षित है कि भारत में उसके द्वारा किए गए बीमा कारबार की बाबत वह उन्हें नियंत्रक को दे, तैयार की जा सकें, और, यदि आवश्यक हो तो, नियंत्रक द्वारा उनकी जांच की जा सके, तथा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष की जनवरी के अंतिम दिन को या उसके पूर्व लेखापरीक्षक का इस भाव का प्रमाणपत्र देगा कि उक्त लेखा बहियां, रजिस्टर और दस्तावेजें, भारत में बीमाकर्ता के प्रधान कार्यालय में अपेक्षित रूप में रखे जा रहे हैं ।

* * * * * *

जीवन बीमा परिषद् और साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समितियां।

64च. (1) जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) जीवन बीमा परिषद् के सदस्यों के चार प्रतिनिधि, जो उक्त सदस्यों द्वारा अपनी व्यष्टिक हैसियत में ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो परिषद् की उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात व्यक्ति, जो बीमा कारबार से संबद्ध न हो ; और

* * * * * *

(2) साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) साधारण बीमा परिषद् के सदस्यों के चार प्रतिनिधि, जो उक्त सदस्यों द्वारा अपनी व्यष्टि हैसियत में ऐसी रीति से निर्वाचित किए जाएंगे, जो परिषद् की उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रख्यात व्यक्ति, जो बीमा कारबार से संबद्ध न हो ;

(ग) क्रमश: बीमा अभिकर्ताओं, अन्य पक्षकार प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा पालिसीधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार व्यक्ति, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु खंड (क) में वर्णित प्रतिनिधियों में से एक को साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाएगा ।

* * * * * *

पदत्याग और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

64छ. (1) जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति का कोई भी सदस्य समिति के सदस्य के रूप में अपना पद समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित उस भाव की लिखित सूचना द्वारा त्याग सकेगा ।

* * * * * *

कार्यपालिका समिति की अस्तित्वावधि और विघटन।

64ज. (1) * * * * *

(2) जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति का विघटन हो जाने पर भी उसके बहिर्गामी सदस्य तब तक जब तक कि, यथास्थिति, जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद् की अन्य कार्यपालिका परिषद् का गठन न हो जाए पर पद बने रहेंगे और ऐसे प्रशासनिक तथा अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जो विहित किए जाएं ।

* * * * * *

जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति व्ययों के नियंत्रण के बारे में सलाह दे सकेगी।

64ट. (1) जीवन बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व कम से कम एक बार इस दृष्टि से अपना अधिवेशन करे कि वह धारा 40ख की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन वे सीमाएं नियत करने में नियंत्रक को सलाह दे सके जिन तक जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पूर्वगामी वर्ष में उपगत वास्तविक व्यय उस उपधारा के अधीन विहित सीमाओं से अधिक हो सकते हैं तथा ऐसी सीमाएं नियत करने में नियंत्रक उस वर्ष के दौरान जीवन बीमा कारबार में साधारणत: विद्यमान परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रखेगा और वह बीमाकर्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न सीमाएं नियत कर सकेगा ।

* * * * * *

(4) यथास्थिति, धारा 13 की उपधारा (1) और (4) के तथा धारा 15 की उपधारा (1) और (2) के या धारा 16 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस धारा के अधीन अन्वेषण और मूल्यांकन के सम्बन्ध में लागू होंगे :

परन्तु ऐसे अन्वेषण और मूल्यांकन के फलस्वरूप तैयार की गई संक्षिप्ति और विवरण उस तारीख तक दे दिए जाएंगे जो नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे ।

* * * * * *

साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के कृत्य।

64ठ. (1) साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(क) साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं को आचरण के मानक तथा अच्छा आचार स्थापित करने के बारे में और साधारण बीमा पालिसियों के धारकों की दक्ष सेवा करने के बारे में सहायता और सलाह देना ;

* * * * * *

(ग) साधारण बीमा पालिसियों के धारकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने

वाली रीति से कार्य करने वाले बीमाकर्ता के विषय में नियंत्रक को सूचना देना ;

* * * * * *

(2) साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति अपने कृत्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साधारण बीमा का कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं से ऐसी फीस संगृहीत कर सकेगी जो परिषद् द्वारा बनाई गई उपविधियों में अधिकथित की जाए ।

साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति व्ययों के नियंत्रण के बारे में सलाह दे सकेगी।

64ङ. (1) साधारण बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पूर्व कम से कम एक बार इस दृष्टि से अपना अधिवेशन करे कि धारा 40ख की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन वे सीमाएं नियत करने में नियंत्रक को सलाह दे सके जिन तक साधारण बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा ऐसे कारबार की बाबत पूर्वगामी वर्ष में उपगत वास्तविक व्यय उस उपधारा के अधीन विहित सीमाओं से अधिक हो सकते हैं और ऐसी सीमाएं नियत करने में नियंत्रक उस वर्ष के दौरान साधारण बीमा कारबार में साधारणत: विद्यमान परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रखेगा और वह बीमाकर्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न सीमाएं नियत कर सकेगा ।

* * * * * *

जीवन बीमा परिषद् तथा साधारण बीमा परिषद् की साधारण शक्तियां।

64द. (1) अपने कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए, यथास्थिति, जीवन बीमा परिषद् या साधारण बीमा परिषद्–

* * * * * *

(ख) वह रीति अवधारित कर सकेगी जिससे कोई विहित फीस संगृहीत की जा सकेगी ;

* * * * * *

संक्रमणकालीन उपबंध।

64पठक. (1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, जब तक धारा 64पग के अधीन सलाहकार समिति द्वारा अधिकथित दरों, फायदों और निबंधनों तथा शर्तों को प्राधिकरण द्वारा उस तारीख से, जो प्राधिकरण राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अवधारित करे, अधिसूचना से निकाला नहीं जाता है और दरों, फायदों और निबंधनों तथा शर्तों को संबंधित बीमाकर्ता द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, तब तक सलाहकार समिति द्वारा अधिसूचित दरें, फायदे और निबंधन तथा शर्तें प्रवृत्त बनी रहेंगी और सदैव प्रवृत्त बनी रही समझी जाएंगी तथा कोई भी ऐसी दरें, फायदे और निबंधन तथा शर्तें सभी बीमाकर्ताओं पर बाध्य होंगी ।

(2) प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, टैरिफ सलाहकार समिति के विघटन पर, उसके विद्यमान कर्मचारियों के लिए, ऐसे कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह आदेश द्वारा अवधारित करे, एक स्कीम तैयार करेगा ।

* * * * * *

जब तक कि प्रीमियम अग्रिम तौर पर प्राप्त न हो जाए किसी भी जोखिम का ग्रहण न किया जाना।

64फख. (1) * * * * *

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन जोखिमों की दशा में, जिनके लिए प्रीमियम पहले से ही अभिनिश्चित किया जा सकता है, जोखिम की उपधारणा उस तारीख के पहले नहीं की जा सकेगी जिसकी वह प्रीमियम नकद या चैक के रूप में बीमाकर्ता को दिया गया है ।

स्पष्टीकरण–यदि प्रीमियम डाक से भेजे गए मनीआर्डर या चैक द्वारा दिया गया है तो जोखिम उस तारीख को ग्रहण की जा सकेगी जिसको, यथास्थिति, मनीआर्डर बुक किया गया है या चैक डाक से भेजा गया है ।

* * * * * *

भाग 4क

पुनर्बीमा

भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के यहां पुनर्बीमा।

101क. (1) प्रत्येक बीमाकर्ता प्रत्येक पालिसी पर बीमाकृत धनराशि के इतने प्रतिशत का जितना प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए, पुनर्बीमा पुनर्बीमाकर्ताओं से कराएगा ।

* * * * * *

भाग 5

प्रकीर्ण

इस अधिनियम के अनुपालन में चूक के लिए या उसके उल्लंघन में कार्य के लिए शास्ति।

102. यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन अपेक्षा है कि वह—

(क) प्राधिकरण को कोई दस्तावेज, विवरण, लेखा, विवरणी या रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उन्हें पेश करने में असफल रहेगा; या

(ख) निदेशों का पालन करे, ऐसे निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा,

(ग) शोधन क्षमता मार्जिन बनाए रखे, ऐसा शोधन क्षमता मार्जिन बनाए रखने में असफल रहेगा;

(घ) बीमा संधियों के बारे में निदेशों का पालन करे, उक्त बीमा संधियों के ऐसे निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा,

तो वह शास्ति का जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, एक लाख रुपए या एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, दायी होगा ।

* * * * * *

धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27घ और धारा 27ङ के उल्लंघन के लिए शास्ति।

104. यदि कोई व्यक्ति धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27घ और धारा 27ङ के उपबंधों का पालन करने में असफल रहेगा, तो वह ऐसी शास्ति का, जो पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी, दायी होगा ।

* * * * * *

न्यायनिर्णयन की शक्ति।

105ग. (1) प्राधिकरण, धारा 2गख की उपधारा (2), धारा 34ख की उपधारा (4), धारा 40 की उपधारा (3), धारा 41 की उपधारा (2), धारा 42 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 42घ की उपधारा (8) और उपधारा (9), धारा 52च और धारा 105ख के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी अधिकारी को, जो संयुक्त निदेशक या समतुल्य अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् विहित रीति में जांच करने के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा ।

* * * * * *

बीमाकर्ता की सम्पति का प्रत्यावर्तन या कतिपय मामलों में प्रतिकर आदिष्ट करने की न्यायालय की शक्ति।

106. (1) यदि नियन्त्रक या धारा 52क के अधीन नियुक्त प्रशासक के आवेदन पर अथवा बीमाकर्ता के या बीमा कम्पनी के किसी पालिसीधारी या किसी सदस्य के अथवा बीमा कम्पनी के समापक के (उस दशा में, जबकि बीमा कम्पनी समापनाधीन हो) आवेदन पर न्यायालय का समाधान हो जाता है कि—

* * * * * *

(11) इस धारा के अधीन कार्यवाही में न्यायालय की वे सब शक्तियां होंगी जो इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का 7) की धारा 237 के अधीन न्यायालय की होती है ।

(12) यह धारा भाग 3 में यथा परिभाषित क्षेमदा सोसाइटी के बारे में उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह बीमाकर्ता के बारे में लागू होती है ।

* * * * * *

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर।

110ख. यदि किसी दस्तावेज की बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा यह अपेक्षित है कि उस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या उसके अधीनस्थ किसी व्यक्ति द्वारा या धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं तो उसकी बाबत यह बात कि वह समुचित रूप से हस्ताक्षरित है, उस दशा में समझी जाएगी जबकि उस पर ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष, व्यक्ति या अधिकारी के अनुकृत हस्ताक्षर, मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा छपे हों ।

* * * * * *

राज्य सरकारों आदि को लागू होने वाले उपबन्ध।

110च. धारा 3, 3क, 27ख, 28ख, 33, 34, धारा 34ङ का खंड (क), 34च, 40क, 40ग, 44क, 64प से लेकर 64पड तक (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं हैं), 64फ, 64फक, 64फख, 64फग तथा 101क, 101ग, 110घ, 110छ तथा 110ज के उपबन्ध, धारा 118 के अधीन मंजूर की गई किसी छूट के होते हुए भी, यथाशक्य उस साधारण बीमा कारबार को और उसके संबंध में भी लागू होंगे जो राज्य सरकार द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी द्वारा किया जाता है । 1956 का 1

* * * * * *

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

114. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

* * * * * *

(ककक) धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के अधीन विदेशी विनिधान की शर्तें और रीति;

* * * * * *

(घ) धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्ररूप;

* * * * * *

(ज) धारा 65 की उपधारा (2)] के खण्ड (क) से लेकर खण्ड (च) तक में विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं से भिन्न अनिश्चित आकस्मिकताएं, जिनके घटित होने पर धनराशि क्षेमदा सोसाइटियों द्वारा दी जा सकेगी;

(झ) धारा 74 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट बातों से भिन्न बातें जिनके लिए क्षेमदा सोसाइटी नियम बनाएगी;

* * * * * *

(ञ) भाग 3 द्वारा अपेक्षित लेखा, विवरणी या रजिस्टर का प्ररूप और वह रीति, जिससे ऐसा लेखा, विवरणी या रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा;

* * * * * *

(ठ) वे शर्तें और बातें जो धारा 92 की उपधारा (5), (6), (10) और (12) के अधीन विहित की जा सकेंगी;

* * * * * *

(4) स्थानीय सरकार द्वारा क्षेमदा बीमा सोसाइटी अधिनियम, 1912 की धारा 24 के उपबंधों के अधीन बनाए गए और इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सब नियम, जहां तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों से वे प्रतिस्थापित न करा दिए जाएं और वे ऐसे 1912 का 5

प्रभावी होंगे मानो वे इस धारा के अधीन सम्यक् रूप से बनाए गए हों ।

विनियम बनाने की प्राधिकरण की शक्ति।

114क. (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसे विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

* * * * * *

(च) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और प्राप्तियों तथा संदायों का पृथक् लेखा और आय लेखा तैयार करना;

(छ) वह रीति, जिसमें बीमांकक की रिपोर्ट का उद्धरण विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 13 में निर्दिष्ट विवरण संलग्न किया जाएगा;

* * * * * *

(झ) आस्तियों का विनिधान और धारा 27, धारा 27क, धारा 27ख, धारा 27ग के अधीन कतिपय मामलों में किसी बीमाकर्ता द्वारा विनिधानों और बीमाकर्ताओं द्वारा विनिधान के संबंध में और उपबंध तथा धारा 27घ के अधीन आस्तियों के विनिधान का समय, उसकी रीति और अन्य शर्तें;

* * * * * *

(ञक) धारा 35 की उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन वह प्ररूप जिसमें संबंधित प्रत्येक बीमाकर्ता के बीमा कारबार की बाबत तुलनपत्र और वह रीति, जिसमें जीवन बीमा कारबार की बाबत बीमांकिक रिपोर्टें और उद्धरण तैयार किए जाएंगे;

* * * * * *

(थ) धारा 42घ की उपधारा (1) के अधीन मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती को अनुज्ञप्ति देने की रीति और फीस;

(द) वह फीस और अतिरिक्त फीस जो धारा 42घ की उपधारा (3) के अधीन मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अवधारित की जाएगी;

* * * * * *

(फ) धारा 42घ की उपधारा (7) के अधीन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस;

* * * * * *

प्ररूपों में परिवर्तन।

115. प्राधिकरण ऐसे बीमाकर्ता के, जो कम्पनी नहीं है, आवेदन पर या उसकी सहमति से उन प्ररूपों को, जो अनुसूचियों में दिए गए है, उस बीमाकर्ता की बाबत इस

प्रयोजन से परिवर्तित कर सकेगी कि वे उस बीमाकर्ता की परिस्थितियों के अनुकूल हो जाएं :

परन्तु इस धारा के अधीन की गई किसी बात से बीमाकर्ता को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सभी जानकारी देने से वहां तक छूट नहीं मिलेगी जहां तक कि उसके लिए ऐसा करना सम्भव है ।

कतिपय अपेक्षाओं से छूट देने की शक्ति।

116. (1) केन्द्रीय सरकार भारत के बाहर किसी देश या राज्य में गठित, निगमित या अधिवसित किसी बीमाकर्ता को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों में से ऐसे किसी भी उपबंध से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, पूर्णत: या ऐसी शर्तों पर या ऐसे उपान्तरों के अधीन छूट दे सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) यह धारा भाग 3 में यथापरिभाषित क्षेमदा सोसाइटी के बारे में उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार वह बीमाकर्ता के बारे में लागू होती है ।

विवरणियों के संक्षेप का प्रकाशित किया जाना।

116क. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष ऐसी रीति से, जो वह निर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित उन लेखाओं, तुलनपत्रों, विवरणों, संक्षिप्तियों और अन्य विवरणियों का संक्षेप प्रकाशित कराएगी, जो प्रकाशन के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, नियंत्रक को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में दी गई हैं, तथा वह ऐसे संक्षेप के साथ नियंत्रक का या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार का कोई टिप्पण और कोई पत्राचार जोड़ सकेगी : 1999 का 41

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह अपेक्षित न होगा कि धारा 10 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण या धारा 28 की उपधारा (1) या धारा 28क या धारा 28ख में निर्दिष्ट विवरणियों या धारा 31ख की उपधारा (2) में या धारा 40ख में निर्दिष्ट विवरणों का प्रकाशन किया जाए ।

इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 के उपबंधों की व्यावृत्ति।

117. इस धारा की किसी बात से उस बीमाकर्ता के, जो कम्पनी है, या भाग 3 में यथापरिभाषित उस क्षेमदा सोसाइटी के, जो कम्पनी है, इस दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जिन बातों के लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है उनकी बाबत वह इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 के उपबंधों का अनुपालन करे । 1913 का 7

छूट।

118. इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

* * * * * *

(ग) उस दशा में जबकि केन्द्रीय सरकार किसी मामले में ऐसा आदेश दे तथा उस विस्तार तक या उन शर्तों या उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हों, ऐसे किसी बीमा कारबार को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है; या 1956 का 1

(घ) उस दशा में जबकि नियंत्रक किसी मामले में ऐसा आदेश दे और उस

विस्तार तक या ऐसी शर्तों या उपान्तरों के अधीन रहते हुए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हों—

1922 का 11

(i) इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 58एन के खंड (ए) में यथा परिभाषित अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि को; या

(ii) 27 जनवरी, 1937 के पूर्व विद्यमान और केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय रूप से मान्य ऐसी किसी निधि को, जो निधि में अभिदाय करने वालों और उनके आश्रितों के पारस्परिक फायदे के लिए सरकारी सेवकों या सरकारी पेंशनधारियों के द्वारा या निमित्त कायम रखी जाती है; या

(iii) केवल सरकारी सेवकों या रेल सेवकों से मिलकर बनी किसी पारस्परिक या क्षेमदा बीमा सोसाइटी को, जिसे क्षेमदा बीमा सोसाइटी

1912 का 5

अधिनियम, 1912 के सब उपबन्धों या उनमें से किसी से छूट मिली हुई है ।

* * * * * *

प्रकाशित विवरण पत्रिका आदि का निरीक्षण और उसकी प्रतियों का दिया जाना।

119. कोई भी व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा नियंत्रक के यहां फाइल किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण पांच रुपए फीस का संदाय करके कर सकेगा और किसी ऐसी दस्तावेज या उसके किसी भाग की प्रति, ऐसी प्रति तैयार करने के लिए विहित दर पर अग्रिम संदाय करके, अभिप्राप्त कर सकेगा ।

इस अधिनियम के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का अवधारण।

120. इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षिप्त प्रतिभूतियों का निक्षेप की तारीख पर बाजार मूल्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित किया जाएगा और उसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

* * * * * *

(3) "नियंत्रित कारबार" से–

* * * * * *

(iii) बीमा अधिनियम की धारा 65 में यथापरिभाषित क्षेमदा सोसाइटी की दशा में, उसका सब कारबार,

* * * * * *

(6) "बीमाकर्ता" से बीमा अधिनियम में यथापरिभाषित ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जो भारत में जीवन बीमा कारबार चलाता है और इसके अन्तर्गत बीमा अधिनियम की धारा 65 में यथापरिभाषित सरकार तथा क्षेमदा सोसाइटी आती है ;

* * * * * *

शर्तें आदि अधिरोपित करने की शक्ति।

6क. (1) * * * * *

(2) जहां निगम द्वारा किसी समुत्थान के साथ धारा 6 के अधीन कोई ठहराव किया गया है जिसमें ऐसे समुत्थान के एक या अधिक निदेशकों की निगम द्वारा नियुक्ति के लिए उपबन्ध है वहां ऐसा उपबन्ध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की कोई नियुक्ति, कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद या समुथान से संबंधित किसी अन्य लिखत में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगी और निदेशकों की शेयर अर्हता, आयु-सीमा, निदेशक-पदों की संख्या, निदेशक के पद से हटाए जाने से सम्बन्धित कोई उपबन्ध और इसी प्रकार की शर्तें जो यथापूर्वोक्त किसी विधि या लिखत में अन्तर्विष्ट हों, यथपूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में निगम द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होंगी । 1956 का 1

* * * * * *

अध्याय 5

प्रबंध

कार्यालय, शाखाएं और अभिकरण।

18. (1) * * * * *

(2) निगम निम्नलिखित स्थानों में से प्रत्येक में, अर्थात् मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास में एक आंचलिक कार्यालय स्थापित करेगा, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे अन्य आंचलिक कार्यालय भी स्थापित कर सकेगा जैसे वह उचित समझता है ।

* * * * * *

आंचलिक प्रबन्धक।

22. (1) * * * * *

(3) निगम प्रत्येक आंचलिक कार्यालय के लिए इतने व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली, जितने वह ठीक समझता है, कर्मचारी-और-अभिकर्ता-सम्बन्ध-समिति विहित रीति से संघटित करेगा और ऐसी प्रत्येक समिति निगम और इसके कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों से ऐसे गठित होगी कि समिति में कर्मचारियों और अभिकर्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या निगम के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी और समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह आंचलिक प्रबन्धक को उन विषयों पर सलाह दे जो निगम के कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के कल्याण से सम्बन्ध रखते हैं या जिनसे यह सम्भाव्य है कि उनमें और निगम में मैत्री और अच्छे सम्बन्ध बढ़ें और सुनिश्चित हों ।

* * * * * *

निगम के अनन्य विशेषाधिकार का न रहना ।

30क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निगम का, भारत में जीवन बीमा कारबार करने का अनन्य विशेषाधिकार बीमा और विकास प्राधिकरण, 1999 के प्रारंभ से ही समाप्त हो जाएगा और तत्पश्चात् निगम भारत में जीवन बीमा कारबपार

बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अनुसार करेगा ।

* * * * * *

बीमा अधिनियम का लागू होना।

43. (1) बीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं, अर्थात् :–

धाराएं 2, 2ख, 3, 18, 26, 33, 38, 39, 41, 45, 46, 47क, 50, 51, 52, 110क, 110ख, 110ग, 119, 121, 122, और 123,

निगम को यावत्साध्य ऐसे लागू होंगी जैसे वे किसी अन्य बीमाकर्ता को लागू हैं ।

(2) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश देगी कि बीमा अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं, अर्थात् :–

धाराएं 2घ, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27क, 28क, 35, 36, 37, 40, 40क, 40ख, 43, 44, 102, से 106 तक, 107 से 110 तक, 111, 113, 114 और 116क,

निगम को ऐसी शर्तों पर और ऐसे उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2क) बीमा अधिनियम की धारा 42 निगम के लिए बीमा कारबार याचित या उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को दिए जाने के संबंध में ऐसे प्रभावशील होगी मानो उसकी उपधारा (1) में इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रति निर्देश के अन्तर्गत निगम के ऐसे अधिकारी के प्रतिनिर्देश हो जो इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

(3) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों से भिन्न बीमा अधिनियम के सब या कोई उपबंध निगम को ऐसी शर्तों पर और उपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की या किए जाएं ।

* * * * * *

कतिपय अवस्थाओं में अधिनियम का लागू न होना।

44. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात–

* * * * * *

(ख) ऐसे किसी बीमाकर्ता के संबंध में लागू नहीं होगी जिसे बीमा अधिनियम उसकी धारा 2ङ में अन्तर्विष्ट उपबंधों के कारण लागू नहीं होता है :

* * * * * *

नियम बनाने की शक्ति।

48. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों या उन में से या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :

* * * * * *

(ज) वह रीति जिससे प्रत्येक आंचलिक कार्यालय के लिए एक कर्मचारी और अभिकर्ता संबंध समिति संघटित की जा सकेगी,

* * * * * *

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 41) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

* * * * * *

(च) "मध्यवर्ती" या "बीमा मध्यवर्ती" के अंतर्गत बीमा दलाल, पुनर्बीमा दलाल, बीमा परामर्शी, निगम अभिकर्ता, अन्य पक्षकार प्रशासक, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक तथा ऐसी अन्य इकाइयां आती हैं जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं ।

* * * * * *

प्राधिकरण का गठन।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख) पांच से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य ;

(ग) चार से अनधिक अंशकालिक सदस्य,

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें जीवन बीमा, साधारण बीमा, बीमांकिक विज्ञान, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि, लेखाकर्म, प्रशासन या किसी अन्य विधा विशेष में, जो केंद्रीय सरकार की राय में, प्राधिकरण के लिए उपयोगी होगी, ज्ञान या अनुभव हो :

परंतु केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम एक-एक व्यक्ति ऐसा है जिसे क्रमशः जीवन बीमा, साधारण बीमा या बीमांकिक विज्ञान का ज्ञान या अनुभव है ।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि।

5. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य पूर्णकालिक सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

* * * * * *

अध्याय 4

प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य।

14. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,–

* * * * * *

(झ) उन दरों, सहूलियतों, निबंधनों और शर्तों का नियंत्रण और विनियमन करना, जो साधारण बीमा कारबार की बाबत बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्थापित की जा सकेंगी और जिनका नियंत्रण और विनियमन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64प के अधीन टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा नहीं किया जाता है ;

1938 का 4

* * * * * *

(ढ) टैरिफ सलाहकार समिति के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना ;

निधि का गठन।

16. (1) * * * * *

(2) निधि का उपयोजन निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा, अर्थात्:–

* * * * * *

(ख) प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन से संबंधित और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके अन्य व्यय ।

* * * * * *

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

23. (1) प्राधिकरण, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

* * * * * *

विनियम बनाने की शक्ति।

26. (1) प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों ।

* * * * * *